निदेशक मंडल

(यथा 31 मई 2006 को स्थिति)

श्री एस. एन. मेनन
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डॉ. अजय दुआ
सचिव, औद्योगिक नीति
एवं संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डॉ. अशोक के. लाहिरी
मुख्य आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्री रिनज़िंग वांगडी
सचिव (ई आर)
विदेश मंत्रालय

श्री अमिताभ वर्मा
संयुक्त सचिव
बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री वी. पी. शेट्टी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया लि.

डॉ. क्रिस्टी. एल. फर्नांडिज़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री ए. के. पुरवार
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री के. चेरियन वर्गीज़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
(31 मार्च 2006 तक)

श्री एस. सी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पंजाब नैशनल बैंक

डॉ. विनयशील गौतम
प्रोफ़ेसर
प्रबंधन अध्ययन विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नई दिल्ली

श्री एस. पी. ओसवाल
चेअरमैन
वर्धमान ग्रुप
लुधियाना

श्रीमती किरन मज़ूमदार शॉ
चेअरमैन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर
बायोकॉन लि.
बैंगलोर

श्री ए. वेल्लयन
वाइस चेअरमैन
ई आइ डी पैरी (इंडिया) लि.
चेन्नै

गत दशक

(रुपये मिलियन में)

	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	संचयी (1996-2006)	वार्षिक औसत संवृद्धि
ऋण												
अनुमोदन	12421	18406	18380	28318	21743	42407	78283	92657	158535	204887	676037	37%
संवितरण	12566	13704	12707	17296	18964	34529	53203	69575	114352	150389	497285	32%
ऋण आस्तियाँ [1]	34513	38248	42641	50833	56443	68260	87736	107751	129104	175931		20%
गारंटियाँ												
अनुमोदित	1365	4024	2633	4404	2118	5450	9328	10792	15887	43264	99265	47%
जारी	1481	1912	2474	3017	1741	4164	7275	5743	16602	21959	66368	35%
गारंटी संविभाग	10215	12094	10553	11147	10740	11273	16133	15769	23727	34023		14%
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	5000	5000	5000	5500	5500	6500	6500	6500	8500	9500		
आरक्षित राशियाँ	5445	7058	8352	9584	10664	12026	13171	14933	16625	17703		
अपरक्राम्य वचनपत्र, बाँड और डिबेंचर	9165	8267	12850	20944	22915	33158	64902	76701	98972	126727		
जमा राशियाँ [2]	660	371	104	2617	2797	3416	9121	20922	82	454		
अन्य उधार राशियाँ	20352	21808	21285	20354	20255	16619	16467	21583	21064	32909		
कुल संसाधन	49329	51201	56665	70264	73981	82734	123189	155192	156922	201401		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	1516	2017	2400	2273	2047	2212	2686	3042	3144	3769	25105	
करोत्तर लाभ	1516	2017	1650	1651	1541	1712	2066	2292	2579	2707	19731	
लाभांश	310	410	330	350	380	420	450	470	654	868	4642	
स्टाफ़ (संख्या) [3]	126	136	147	150	154	163	167	190	193	200		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	31.7	30.5	26.6	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	30.3	40.3	48.0	43.3	37.2	36.9	41.3	46.8	41.9	41.9		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	15.6	17.9	18.9	16.0	13.1	12.8	14.1	14.2	13.5	14.4		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	3.4	4.0	4.4	3.6	2.8	2.8	2.6	2.2	2.0	2.1		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (रुपये मिलियन में)	12.5	15.4	17.0	15.3	13.5	14.0	16.3	17.0	16.4	19.2		

1 ऋण आस्तियां, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि. द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर निवल हैं तथा 1997-98 से प्रभावी हैं और 2004-05 से प्रभावी गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधानों का निवल भी हैं।

2 जमा राशियां प्रति पक्षकारों के साथ रखी जमाराशियों / किए गए निवेशों की अनुरूपी निवल राशियां हैं जो 2004-05 से प्रभावी हैं।

3 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का वक्तव्य

भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और नीतिगत दिशा दर्शाते हुए वर्ष 2005-06 के दौरान प्रभावशाली कार्य-निष्पादन प्रदर्शित करना जारी रखा है । इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात भारत के पण्य निर्यात में तीव्र वृद्धि रही है जो वर्ष के दौरान 100 बिलियन यू एस डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इसके बाद सेवा निर्यात में सतत वृद्धि हुई है । भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता भूमंडलीकरण, विश्व व्यापार संगठन के हाल के आंकड़ों से स्पष्टत: परिलक्षित होता है कि वैश्विक पण्य व्यापार तथा सेवा में, भारत का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ा है।

देश की प्रमुख निर्यात वित्त संस्था के रूप में और भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुरूप एक्ज़िम बैंक ने निर्यातोन्मुख भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उनके भूमंडलीकरण प्रयासों को बढ़ाने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयास किए हैं और साथ ही भारत के निर्यात बाज़ार को विविधीकृत करने के भी प्रयास किए हैं ।

व्यावसायिक पहलें

बाज़ार विविधीकरण और वैश्विक व्यापार में वर्धित हिस्से के उद्देश्य के अनुरूप बैंक ने लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों से निर्यात पर विशेष ध्यान के साथ भारत से परियोजनाओं, उत्पादों तथा सेवाओं के निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए समुद्रपारीय सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया है । वर्ष के दौरान बैंक ने पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र, जो एक उच्च संभाव्यता वाला क्षेत्र है किंतु भारतीय निर्यातकों द्वारा इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, के देशों सहित विभिन्न देशों को भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात में सहायता देने के लिए कुल 836 मिलियन यू एस डॉलर की 20 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। बैंक के पास इस समय उपयोग के लिए कुल 1.74 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धताओं के साथ अफ्रीका, एशिया, सी आइ एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 78 देशों को शामिल करते हुए 59 ऋण-व्यवस्थाएं प्रवर्तनशील हैं जबकि कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

बैंक भारत से परियोजना निर्यातों को सहायता देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से 174 भारतीय निर्यातकों द्वारा कुल 135.3 बिलियन रुपये मूल्य की 568 निर्यात संविदाएं प्राप्त की गईं । भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त संविदाओं की शृंखला, जिसमें सिविल निर्माण, टर्नकी, परामर्शी और व्यापार वित्त उन्मुख आपूर्ति संविदाएं शामिल हैं, समुद्रपारीय प्रयासों में भारतीय कंपनियों की बढ़ती क्षमता का द्योतक है। परियोजना निर्यात में और गति प्रदान करने के लिए बैंक समग्र एशिया परियोजना विकास निधि में 10 मिलियन यू एस डॉलर की राशि निवेश करने की प्रक्रिया में है जो बीज पूंजी प्रदान कर पूरे एशिया में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए परियोजना निष्पादन क्षमता से युक्त भारतीय कंपनियों की सहभागिता को उत्प्रेरित करने के लिए परिकल्पित है।

हाल के वर्षों में भारत के एक वैश्विक निवेशक के रूप में उभरने से इस दिशा में एक्ज़िम बैंक का विशेष ध्यान इस तथ्य से साफ दिखाई देता है कि वर्ष के दौरान 21 कंपनियों को विभिन्न बाज़ारों जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रोमानिया, ताइवान, थाइलैंड, युनाइटेड किंगडम, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विविध क्षेत्रों में उनके समुद्रपारीय निवेशों के आंशिक वित्तपोषण में सहायता प्रदान की गई है। विगत वर्षों में बैंक ने 45 देशों में 120 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 144 उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

बैंक ने विनियमित औषधीय बाज़ारों में अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास को सुगम बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स/बायोफार्मा कंपनियों के लिए एक संरचित उत्पाद शुरू किया है। बैंक भारतीय कंपनियों को विदेशी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन विकसित करने के उनके प्रयासों में भी चुनिंदा रूप से सहायता प्रदान करता है।

गांव तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर भारत सरकार के विशेष ध्यान के अनुरूप बैंक ने वैश्विक बाज़ार में ग्रामीण उद्यमों की पहुँच में सहायता देने के लिए कई कदम उठाये हैं। बैंक ने चार राज्यों में सक्रिय एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन धन फाउंडेशन, बेसिक्स, हैदराबाद, केयर-इंडिया और उराऊ, केरल में बांस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित करने में लगे एक गैर सरकारी संगठन, के साथ सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ने बेसिक्स को पापुआ न्यू गिनिया में पी एन जी माइक्रो फाइनैन्स लिमिटेड में

उसके ईक्विटी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के प्रतीक सहायता प्रदान की है। बैंक ने नाबार्ड तथा बैंक ऑफ़ इंडिया के सहयोग से मधुबनी पेंटिंग्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अलाभकारी संगठनों के साथ वार्ता शुरू की है।

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश में सहायता देने के लिए संस्था के निर्माण में एक्ज़िम बैंक का अनुभव इसे अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभवों तथा विशेषज्ञता को बांटने की लाभप्रद स्थिति में रखता है। एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे की स्थापना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिए ज़िम्बाब्वे में एक आधारभूत संरचना का निर्माण करने में सहायता के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे द्वारा बैंक को एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। बैंक ने बैंकॉक, थाइलैंड में अंतर-एशिया क्रेता-विक्रेता तथा नेटवर्किंग सम्मेलन पर एक कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिनेवा के लिए भारतीय खाद्य क्षेत्र पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है।

लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता को बढ़ाने के लिए बैंक ने एस एम ई बैंक ऑफ़ श्री लंका, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ़ सूडान, कैरेबियन असोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्री एण्ड कॉमर्स, सर्बियन इन्वेस्टमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी, और बांक दी फाइनैन्समेंट डेस पिटाइटस एट मोयेन्स इंटरप्राइज़ेज, ट्यूनिशिया के साथ सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इसके अतिरिक्त ''भारत में लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का निर्यात निष्पादन'' विषय पर बैंक का कार्यकारी आलेख, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डालता है, चुनिंदा देशों में लघु एवं मध्यम उद्यम को सहायता देने वाली नीतियों का वर्णन करता है और क्षेत्र से उद्यमिता तथा निर्यात को संपोषित करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तुत करता है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित शोध अध्ययनों में वैनिला और भारत में इसकी संभाव्यता; भारतीय चमड़ा उद्योग का परिप्रेक्ष्य तथा निर्यात संभाव्यता; भारतीय पेट्रोलियम उत्पाद उद्योग के लिए अवसर तथा चुनौतियाँ; पुष्पोत्पादन पर क्षेत्रीय अध्ययन के अतिरिक्त, भारत तथा चुनिंदा एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह और निवेश निधियों के तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल हैं। खाड़ी सहयोग परिषद् (जी सी सी) क्षेत्र के एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार और भारत के परियोजना निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थान होने से, जी सी सी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश की संभाव्यता पर बैंक का प्रासंगिक आलेख द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है और जी सी सी क्षेत्र में भारत की वाणिज्यिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए रणनीतियां तथा सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, चुनिंदा पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता पर बैंक का प्रासंगिक आलेख पश्चिम अफ्रीका में चुनिंदा देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करने और व्यापारिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अवसरों की पहचान करता है।

चीन में व्यापार तथा निवेश की प्रचुर संभाव्यता को देखते हुए बैंक ने इंडिया-चाइना न्यूज़लेटर शीर्षक से एक द्विभाषी (अंग्रेज़ी और चीनी) न्यूज़लेटर शुरू करने की पहल की है। यह भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों से संबंधित मुद्दों पर फ़ोकस करता है। यह 'इंडो अफ्रीकन बिज़नेस' 'इंडो लैक-बिज़नेस' तथा 'इंडो सी आइ एस बिज़नेस शीर्षक से प्रकाशित की जा रही द्विभाषी तिमाही पत्रिकाओं की शृंखला में एक नई कड़ी है। सभी प्रकाशनों को ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद मिला है।

हाल के वर्षों में, दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा निवेश संबंध वैश्विक व्यापार तथा निवेश प्रवाहों में वृद्धि के संवाहक के रूप में काफी महत्त्वपूर्ण हो गए हैं । इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंक तथा अंकटाड की संयुक्त पहल के रूप में, मार्च 2006 में जिनेवा में एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) की स्थापना की गई है। विकासशील देशों में व्यापार तथा परियोजना वित्त में सर्वोत्तम प्रणालियों पर सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से व्यापार तथा विकास वित्त को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पित, जी-नेक्ज़िड, एक्ज़िम बैंकों को तथा विकास वित्त संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों को सुगम बनाएगा जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों के बीच व्यापार की लागतों में कमी आएगी, सीमापार निवेश के प्रवाह में वृद्धि होगी तथा नए और नवोन्मेषी व्यवसाय के लिए अधिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा । इसके अतिरिक्त, बैंक ने अंकटाड के साथ एक सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी और साझेदारी में आयोजित

कार्यकलाप दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा निवेश प्रवाहों को सहायता देने में विकासशील देशों में वित्तीय संस्थाओं की क्षमता को मज़बूती प्रदान करेंगे ।

बैंक उद्यम प्रबंध विकास सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आइ टी सी), जिनेवा में सहभागी है जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अर्थक्षम तथा बैंक व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करने में सहायता के लिए एक आइ टी आधारित टूलकिट का विकास शामिल है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार से और एशिया न्यास निधि सुविधा के अंतर्गत यूरोपीय संघ से भी सहायता मिली है।

संस्थागत संबंधों से प्राप्त सहक्रियात्मक संबंधों के माध्यम से एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने के बैंक के प्रयासों को नैशनल बैंक फॉर फॉरेन इकोनोमिक एक्टिविटी, उज़्बेकिस्तान, इंस्टिट्यूटो डी क्रेडिटो ऑफिशियल, स्पेन; एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ यू एस ए; एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ नाइजीरिया; एवं बांको नैशनल डी कमर्सियो एक्सटेरियर मेक्सिको के साथ हस्ताक्षरित सहयोग-ज्ञापनों से मज़बूती मिली है। इसके अतिरिक्त, भारत से माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए सहवित्तपोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहयोग तथा व्यावसायिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों जैसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया और ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के साथ सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एक्ज़िम बैंक ने अक्तूबर 2005 में गोवा, भारत में आयोजित एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम की 11 वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की थी । इस बैठक की विषय-वस्तु "व्यापार वित्तपोषण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना" थी। नौ सदस्य संस्थाओं अर्थात भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, और थाइलैंड के निर्यात बैंकों के अतिरिक्त इस बैठक में एक स्थायी आमंत्रिती के रूप में एशियाई विकास बैंक और प्रेक्षक के रूप में के एफ डब्ल्यू (जर्मनी), बी एन डी ई एस (ब्राज़ील), ओ ई सी डी (पैरिस), अंकटाड (जिनेवा) तथा एस एम ई बैंक और सेंट्रल बैंक (श्री लंका) द्वारा भाग लिया गया ।

बैंक को एशिया तथा प्रशांत में विकास वित्तपोषण संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा ''ट्रेड डिवेलपमेंट अवार्ड''-2006 से सम्मानित किया गया । यह अवार्ड ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक समर्थकारी वातावरण तत्परता पूर्वक तैयार करते हैं, को सहायता देने के लिए बैंक की पहल की स्वीकृति में है। इससे उन्हें भारत के बाहर अपने दायरे को बढ़ाने में सहायता मिलेगी । बैंक को वर्ष 2002, 2004 तथा 2005 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ।

वर्ष के दौरान बैंक ने विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन सहित बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना जारी रखा है ।

कारोबार परिणाम

भारत के निर्यात में सतत तेज़ी के अनुरूप बैंक के कारोबार निष्पादन में विशिष्ट वृद्धि हुई है। ऋण अनुमोदन कुल 204.9 बिलियन रुपये मूल्य के थे, इनमें गत वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि संवितरण 150.4 बिलियन रुपये के थे उनमें 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऋण आस्तियाँ यथा 31 मार्च 2006 को 34 प्रतिशत की दर से बढ़कर 180.3 बिलियन रुपये हो गईं।

कर पूर्व लाभ गत वर्ष के 3.14 बिलियन रुपये की तुलना में 3.77 बिलियन रुपये रहा, जबकि कर पश्चात लाभ गत वर्ष के 2.58 बिलियन रुपये की तुलना में 2.71 बिलियन रुपये रहा । जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 18.42 प्रतिशत रहा, जबकि निवल ऋण आस्तियों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियाँ यथा 31 मार्च 2006 को 0.59 प्रतिशत थीं। वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से 1 बिलियन रुपये की शेयर पूंजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च 2006 को बैंक की प्रदत्त पूंजी 9.5 बिलियन रुपये थी ।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जुटाये गये विदेशी मुद्रा संसाधनों में समुराई बांड निर्गम के जरिए 23 बिलियन जापानी येन, जो 15 वर्षों में भारत से ऐसा पहला निर्गम था और जिसमें द्विपक्षीय/ क्लब ऋणों के माध्यम से जुटायी गई 590 मिलियन यू एस डॉलर की राशि शामिल है। बैंक को जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड (जे सी आर ए) से 'बी बी बी' रेटिंग प्राप्त हुई जो निवेश ग्रेड की रेटिंग से एक स्तर ऊपर है। बैंक को संप्रभु रेटिंग के समतुल्य, मूडीज़ (बी ए ए 3, निवेश ग्रेड, स्थिर संभावना), एस एण्ड पी (बी बी +, सकारात्मक संभावना), और फिच (बी बी +, स्थिर संभावना) की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग भी प्राप्त है।

संस्थागत संबद्धताएं

व्यापार तथा निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विकसित संस्थागत संबंधों द्वारा बैंक के विभिन्न प्रयासों में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूपों में सहायता मिली है। सी आइ आइ, फिक्की, एसोचेम, नैसकॉम, फिओ, ई ई पी सी, पी ई पी सी, आइ सी सी तथा अन्य निर्यात संवर्धन परिषदें, भारत-यूरोपीय संघ वाणिज्य मंडल, अन्य वाणिज्य मंडल और आर्थिक शोध संस्थाएं, बैंक के कार्य-कलापों में ज्ञान तथा सहायता का एक मूल्यवान स्रोत रही हैं।

बैंक को उद्योगों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। डॉ. अजय दुआ, सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री वी. पी. शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया लि.; डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.; श्री के.चेरियन वर्गीज़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया; श्री एस.सी.गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक; श्री एस.पी.ओसवाल, अध्यक्ष, वर्धमान समूह; श्रीमती किरण मजूमदार शॉ, चेअरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, बायोकॉन लि.; और श्री ए. वेल्लयन,वाइस चेअरमैन, ई आइ डी पैरी (इंडिया) लि.; को बैंक के मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री ए.के.झा, सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्रीमती सूर्यकांति त्रिपाठी, अपर सचिव (आर्थिक संबंध), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्रीमती के.जे. उदेशी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री पी.के. दाश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि.; डॉ. पुलिन बी. नायक, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स; डॉ. एस.चंद्रा, अध्यक्ष, पैन एशियन मैनेजमेंट फाउंडेशन; और डॉ. बुधाजीराव आर. मुलिक, उपाध्यक्ष, एशियन एसोसिएशन ऑफ़ एग्री, इंजीनियरिंग (भूमि एवं जल) ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यालय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। बैंक निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार मानता है ।

बैंक का स्टाफ़, जो प्रमुख संसाधन है, ने उत्कृष्टता और कारोबार वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सतत समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है तथा बैंक के मिशन को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा है। बैंक की सहभागी तथा व्यावसायिक कार्य संस्कृति बैंक के लिए शक्ति का एक निरंतर स्रोत रही है। ये विशेषताएं यह सुनिश्चित करेंगी कि बैंक अपने परिचालनों के 25 वें वर्ष में कदम रखते हुए देशी तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

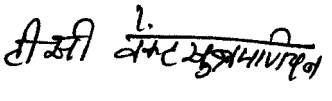

(टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन)
22 अप्रैल 2006

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

तेल की लगातार बढ़ती कीमतों तथा प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने गत वर्ष में तीव्र विस्तार के बाद 2005 के दौरान समुत्थान की शक्ति प्रदर्शित की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2006 के अनुसार, वैश्विक सकल देशी उत्पाद में 2005 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसके पिछले वर्ष में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आर्थिक कार्यकलापों में यह तेज़ी मुख्यत: यू एस तथा विकासशील एशिया द्वारा संचालित थी । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर 2004 के 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 2.7 प्रतिशत रही, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरते बाज़ारों में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष में दर्ज की गई 7.6 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 7.2 प्रतिशत की लगातार तीव्र वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है।

संयुक्त राज्य में, तीव्र आय वृद्धि और श्रम तथा वित्तीय बाज़ार स्थितियों में सुधार प्रदर्शित करते हुए आर्थिक कार्यकलापों में मज़बूती रही और वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर गत वर्ष के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 3.5 प्रतिशत रही । हालांकि संयुक्त राज्य में वृद्धि से वैश्विक विस्तार को मज़बूती मिल रही है, तथापि संयुक्त राज्य में चालू खाता घाटे का सतत उच्च स्तर, जो तेल की ऊंची कीमतों और अपेक्षाकृत मज़बूत देशी मांग के कारण है, चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि, व्यवसाय तथा उपभोक्ता विश्वास में मज़बूती बनी हुई है तथापि निकट भविष्य की संभावनाएं तेल तथा डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निरंतर वृद्धि से प्रभावित हो सकती हैं। केनेडा में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर 2005 में 2.9 प्रतिशत के स्तर पर मज़बूत बनी रही जिसे रोज़गार लाभ तथा मज़दूरी की वृद्धि से उत्पन्न वर्धित उपभोग से सहायता मिली है। उत्पादकता वृद्धि और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने की संरचनात्मक नीतियाँ सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक होंगी ।

यूरो क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलापों में सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं, यद्यपि घरेलू खपत में गिरावट तथा कमज़ोर निवल निर्यात के कारण वर्ष की चौथी तिमाही में वृद्धि में मंदी व्याप्त रही । वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष में दर्ज की गई 2.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 1.3 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादकता वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र निष्पादन में अंतर को दर्शाते हुए क्षेत्र में आर्थिक निष्पादन में विविधता रही । क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, स्पेन तथा फ्रांस में देशी मांग अपेक्षाकृत मज़बूत रही, जबकि जर्मनी तथा इटली में देशी मांग में लगातार मंदी व्याप्त रही । यूरो क्षेत्र से बाहर, यू के में वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर 2004 के 3.1 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 1.8 प्रतिशत के न्यून स्तर पर ही रही। ऐसा कमज़ोर निजी खपत, तंग मौद्रिक स्थिति और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण हुआ है।

जापान में मज़दूरी तथा रोज़गार में सुधार ने निजी मांग तथा खपत में सहयोग दिया है, जबकि कॉरपोरेट लाभप्रदता ने कारोबारी

एक्ज़िम बैंक का इक्कीसवां वार्षिक स्थापना दिवस व्याख्यान देते हुए सर सुमा चक्रबर्ती, स्थायी सचिव, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, यूनाइटेड किंगडम ने "व्यापार एवं विकास में राष्ट्र की भूमिका" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की ।

माहौल को बढ़ाया है। इन घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करते हुए वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष में दर्ज की गई 2.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 के दौरान 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि हाल के वर्षों में बैंकिंग तथा कॉरपोरेट क्षेत्रों में कमज़ोरियों को दूर करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है, तथापि आर्थिक कार्यकलापों को बनाये रखने के लिए सुधारों की गति को जारी रखना होगा ।

एशियाई क्षेत्र में, समग्र आर्थिक कार्यकलापों में मज़बूती बनी रही । वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर गत वर्ष के 8.4 प्रतिशत की तुलना में 2005 में औसतन 8.2 प्रतिशत रही जिसमें चीन तथा भारत में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि का योगदान रहा है। चीन की वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर 2004 में 10.1 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 9.9 प्रतिशत के प्रभावशाली स्तर पर रही जिसमें निर्यातों में वृद्धि तथा सतत भारी बाह्य अधिशेष का योगदान रहा है। हालांकि जुलाई 2005 में मुद्रा का पुनर्मूल्यन एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपाय का द्योतक है, बैंकिंग प्रणाली तथा सार्वजनिक उद्यमों में और सुधार तथा देशी पूंजी बाज़ारों का विकास, स्थिरता तथा वृद्धि बनाये रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं । भारत में, आर्थिक कार्यकलापों में ज़बरदस्त वृद्धि को विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों के ज़ोरदार निष्पादन और कृषि क्षेत्र में कार्यकलापों में तेज़ी के कारण बनाये रखा गया है। विदेशी मोर्चे पर, ज़बरदस्त आर्थिक वृद्धि और तेल की ऊंची वैश्विक कीमतों के कारण बढ़ते व्यापार घाटे के बावजूद, सेवा निर्यात तथा प्रेषणों में तेज़ी ने चालू खाता शेष पर प्रभाव को सीमित रखा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में भी 2005 के दौरान वृद्धि दर तेज़ रही है। इसे कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्रों में ज़ोरदार कार्यकलापों तथा समर्थनकारी समष्टि आर्थिक नीतियों से मज़बूती मिली है। आसियान क्षेत्र तथा नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं अर्थात कोरिया गणराज्य, हांग कांग, सिंगापोर और चीन के ताइवान क्षेत्र में मौद्रिक नीति में कड़ाई से 2005 के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में मंदी रही, यद्यपि वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि की गति में तेज़ी आयी। इसे प्रतिबिंबित करते हुए आसियान - 4 (अर्थात इंडोनेशिया, थाइलैंड, फिलिपीन्स तथा मलेशिया) के संयुक्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2005 के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । इसके

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियां

(बिलियन रुपये)

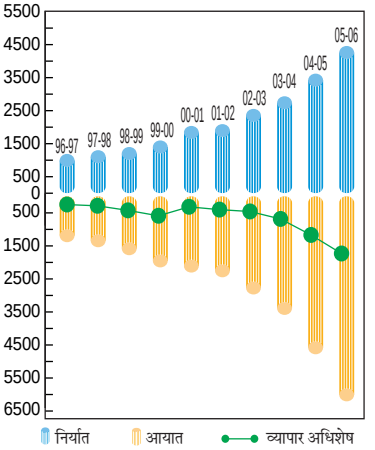

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियां

(बिलियन रुपये)

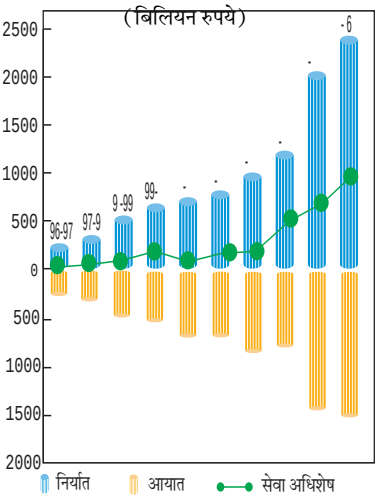

चीन एवं यूरोप में भी निर्यात के बढ़ते कदम - पायोनियर मियागी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै, एक भारतीय-जापानी एस एम ई ने ताइवान में एक जिलेटिन विनिर्माण संयंत्र एक्ज़िम बैंक की सहायता से अर्जित किया है।

अतिरिक्त, नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2005 के दौरान घटकर 4.6 प्रतिशत रही। इन देशों में मध्यावधि वृद्धि में सहायता देने और निजी मांग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य समष्टि आर्थिक प्राथमिकताओं में मुद्रास्फीति पर अंकुश रखना, लोक ऋण को कम करना तथा विनिमय दर में अधिक लचीलापन शामिल हैं।

अफ्रीका में, वर्ष 2005 के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में विस्तार जारी रहा और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 के दौरान दर्ज की गई 5.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष के दौरान 5.2 प्रतिशत रही । उच्च पण्य कीमतों, उन्नत समष्टि आर्थिक नीतियों तथा संरचनागत सुधारों और तेल उत्पादक देशों जैसे अंगोला तथा कांगो गणराज्य में क्षमता वृद्धि से आर्थिक कार्यकलापों में सतत तेज़ी को मज़बूती मिली है। दक्षिण अफ्रीका में 2005 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2004 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4.9 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर थी जिसका प्रमुख कारण बढ़ी हुई देशी मांग तथा निर्यात था । नाइजीरिया में, तेल तथा गैर-तेल, दोनों क्षेत्रों में विस्तार के कारण वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 2005 में 6.9 प्रतिशत हो गयी । मिस्र में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही जिससे वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005 में 5.0 प्रतिशत हो गयी जिसे निर्यात वृद्धि तथा देशी मांग में तेज़ी से मज़बूती मिली है। ईथियोपिया, मोज़ाम्बिक तथा साइरा लिओन जैसे देशों में सुधारों ने सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि के साथ आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा दिया । मघरेब क्षेत्र में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2005 के दौरान 4.1 प्रतिशत रही जिसका प्रमुख कारण मोरक्को में आर्थिक कार्यकलापों में मंदी का होना है। तथापि सी एफ ए फ्रैंक क्षेत्र में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 के 7.7 प्रतिशत से घटकर 2005 में 4.1 प्रतिशत हो गयी जिसका मुख्य कारण कपास बाज़ारों में मंदी का होना है। समग्र क्षेत्र के लिए, जबकि अनुकूल समष्टि आर्थिक नीतियों तथा संरचनात्मक सुधारों के साथ प्रगति से आर्थिक संभावनाओं में सुधार हुआ है, निवेश माहौल तथा बुनियादी क्षेत्र को मज़बूत करने और सुधारने तथा निजी क्षेत्र के नेतृत्व में वृद्धि को संपोषित करने के लिए और सुधारों की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त, मानव पूंजी में निवेश बढ़ाने, श्रम बाज़ारों को अधिक लचीला बनाने और अफ्रीका के विकास हेतु नई साझेदारी के अंतर्गत शुरू की गई अफ्रीकी समकक्ष समीक्षा व्यवस्था (अफ्रीकन पीअर रीव्यू मैकेनीज़्म) के अंतर्गत प्रगति की गति बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने होंगे ।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार की टीम-9 पहल के अंतर्गत इक्वोटोरियल गीनिया सरकार को एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की, यह ऋण-व्यवस्था इक्वोटोरियल गीनिया में एक पेय जल संयंत्र परियोजना के लिए भारत से निर्यात को वित्तपोषण के लिए निर्दिष्ट की गयी है। इक्वाटोरियल गीनिया सरकार की ओर से उनके विदेश कार्य उप-मंत्री माननीय श्री जोस ईसोनो मिशा ने ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर किए ।

मध्य पूर्व में, तेल की लगातार ऊंची वैश्विक कीमतों से बढ़ी हुई तेल निर्यात आय ने क्षेत्र में तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। परिणामस्वरूप, क्षेत्र के लिए वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2005 के दौरान बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गयी । गैर-तेल उत्पादक देशों में वृद्धि को देशी सुधारों के साथ तेल निर्यातक देशों में लगातार विस्तार से लाभ हुआ ।

इसके अलावा, ज़ोरदार देशी मांग के बावजूद, क्षेत्र में मुद्रा स्फीति की दर विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों के कारण सामान्यत: मध्यम बनी रही । सऊदी अरब में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर तेल तथा गैर-तेल दोनों क्षेत्रों की सहायता से गत वर्ष के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 2005 में 6.5 प्रतिशत हो गयी, जबकि ईरान में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष में दर्ज की गई 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें तेल से उच्च आय, कृषि में सुधार तथा विनिर्माण क्षेत्र के ज़ोरदार निष्पादन से सहायता मिली है। क्षेत्र में अन्यत्र, इस्राइल में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2005 में बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गयी जिसमें निजी खपत में तीव्र वृद्धि और पर्यटन क्षेत्र से बढ़ी हुई आय का योगदान रहा है।

लैटिन अमेरिका में वृद्धि की गति 2004 के दौरान तीव्र सुधार के बाद 2005 में बनी रही, हालांकि यह कम स्तर पर रही। वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष की 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 4.3 प्रतिशत रही है। मर्कोसुर क्षेत्र में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 6.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 4.2 प्रतिशत रही। अर्जेंटीना तथा चिले में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2005 के दौरान क्रमश: 9.2 प्रतिशत तथा 6.3 प्रतिशत रही, जबकि ब्राज़ील में वृद्धि की गति में तीव्र गिरावट आई और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर मंद देशी मांग और निवेशों में कमी के कारण 2004 के 4.9 प्रतिशत से घटकर 2005 में 2.3 प्रतिशत हो गई । एंडियन क्षेत्र में, आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही जिससे संयुक्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि गत वर्ष के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 6.3 प्रतिशत रही । कोलम्बिया तथा पेरू में सुदृढ़ समष्टि आर्थिक नीतियों तथा बढ़ती मांग और साथ ही वेनेज्युएला में लगातार तीव्र वृद्धि से क्षेत्र के समग्र आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा मिला है। मध्य अमेरिकी क्षेत्र में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 3.8 प्रतिशत के स्तर पर रही जिसमें निर्यात वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों और प्रेषणों में लगातार वृद्धि का योगदान रहा है। तथापि, मेक्सिको में वर्ष 2005 के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में मंदी रही जिससे वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर 2004 के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 3.0 प्रतिशत रही जिसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का कमज़ोर निष्पादन तथा विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में मंदी का होना था ।

सी आइ एस क्षेत्र में, वर्ष 2005 के दौरान अन्य के साथ-साथ रूस तथा उक्रेन में वृद्धि में मंदी के चलते आर्थिक कार्यकलाप सामान्य रहे । समग्र रूप में क्षेत्र के लिए, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 8.4 प्रतिशत की ज़ोरदार वृद्धि की तुलना में 2005 में 6.5 प्रतिशत रही । रूस में, तेल तथा विनिर्माण क्षेत्रों में कम निवेश तथा न्यून उत्पादन वृद्धि से आर्थिक कार्यकलाप बाधित रहे जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 के 7.2 प्रतिशत से घटकर 2005 में 6.4 प्रतिशत रह गयी । उक्रेन में, निर्यात मांग में मंदी और साथ ही निवेशों में कमज़ोर वृद्धि के कारण वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर में गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 12.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 2.6 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी । इसके अलावा, कज़ाखस्तान में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर ऊर्जा क्षेत्र में न्यून उत्पादन वृद्धि के कारण 2004 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2005 में 9.4 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर रही । तथापि, क्षेत्र में अन्यत्र, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर अधिकांश देशों में ज़ोरदार रही है जिसमें जार्जिया में उन्नत कृषि उत्पादन, अज़रबैजान में वर्धित तेल उत्पादन तथा अर्मेनिया में प्रेषण अंतर्वाह तथा अच्छी फसल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

मध्य और पूर्वी यूरोप में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर चेक गणराज्य तथा स्लोवाक गणराज्य में तेज़ रही, जबकि बल्गारिया तथा रोमानिया में, बढ़ती मज़दूरी आय तथा ऋण संवृद्धि से उत्पन्न बढ़ती देशी मांग ने 2005 में समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। बाल्टिक देशों में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही जिसमें सकारात्मक समष्टि आर्थिक नीतियों तथा संरचनागत सुधारों का योगदान रहा है।

भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात का गठन

(बिलियन रुपये)

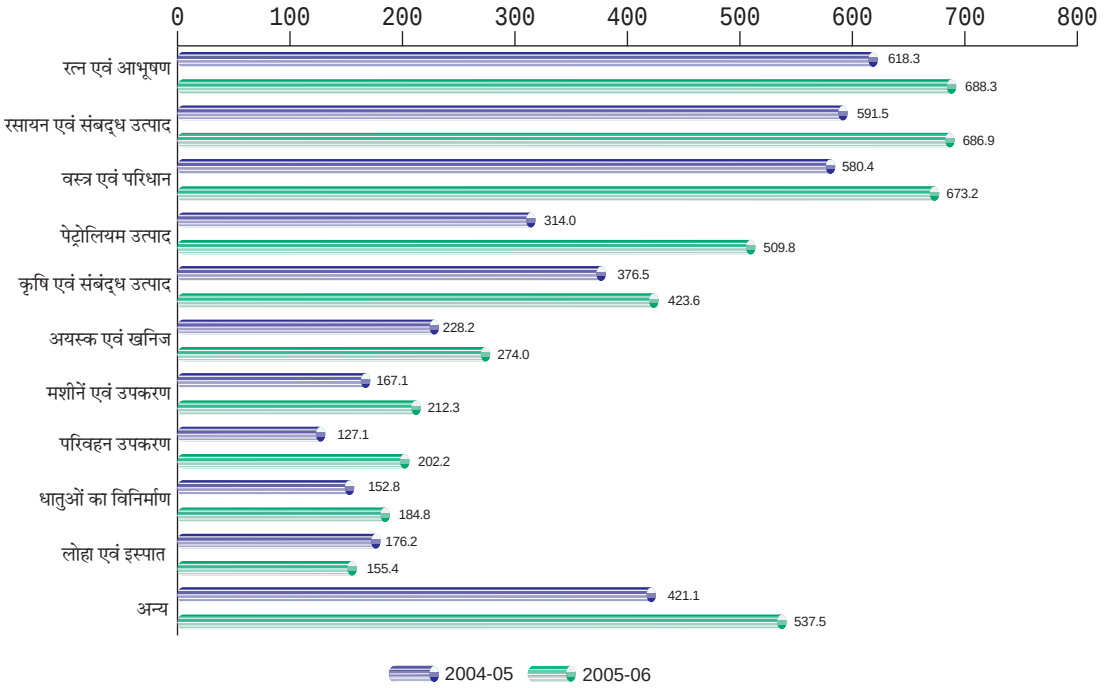

विश्व व्यापार

वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों की प्रवृत्ति और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में विनिर्मित वस्तुओं तथा प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में न्यून वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए विश्व निर्यात में गत वर्ष के दौरान 21.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2005 के दौरान 13.6 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्ज की गई। विश्व निर्यात 2004 के 8,952 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2005 में 10, 171 बिलियन यू एस डॉलर के थे। विनिर्मित वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में 2004 में दर्ज की गई 9.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 4.5 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्राथमिक वस्तुओं के मामले में 2005 में वैश्विक कीमतों में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 18.5 प्रतिशत की वृद्धि से तीव्र गिरावट थी तथापि, तेल के मामले में वैश्विक कीमतें ऊंची रहीं और गत वर्ष के दौरान इनमें 30.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2005 के दौरान 41.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई ।

मात्रा की दृष्टि से, विश्व व्यापार में गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 10.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और 2006 में इसके बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। उन्नत तथा उभरती एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने व्यापार की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की है । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मामले में निर्यात की मात्रा वृद्धि 2004 के दौरान 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005 में 5.1 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर रहीं, जबकि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में वर्ष 2005 के दौरान निर्यात में 10.8 प्रतिशत की मात्रा वृद्धि गत वर्ष की 14.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कमतर थी । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं द्वारा, 2005 के दौरान आयातों की मात्रा वृद्धि में भी इसी प्रकार की अधोमुखी प्रवृत्ति दर्ज की गई ।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निजी पूंजी प्रवाह, चालू खाता शेष एवं विदेशी ऋण

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवल निजी पूंजी प्रवाह 2004 के 329.3 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2005 में 399.6 बिलियन

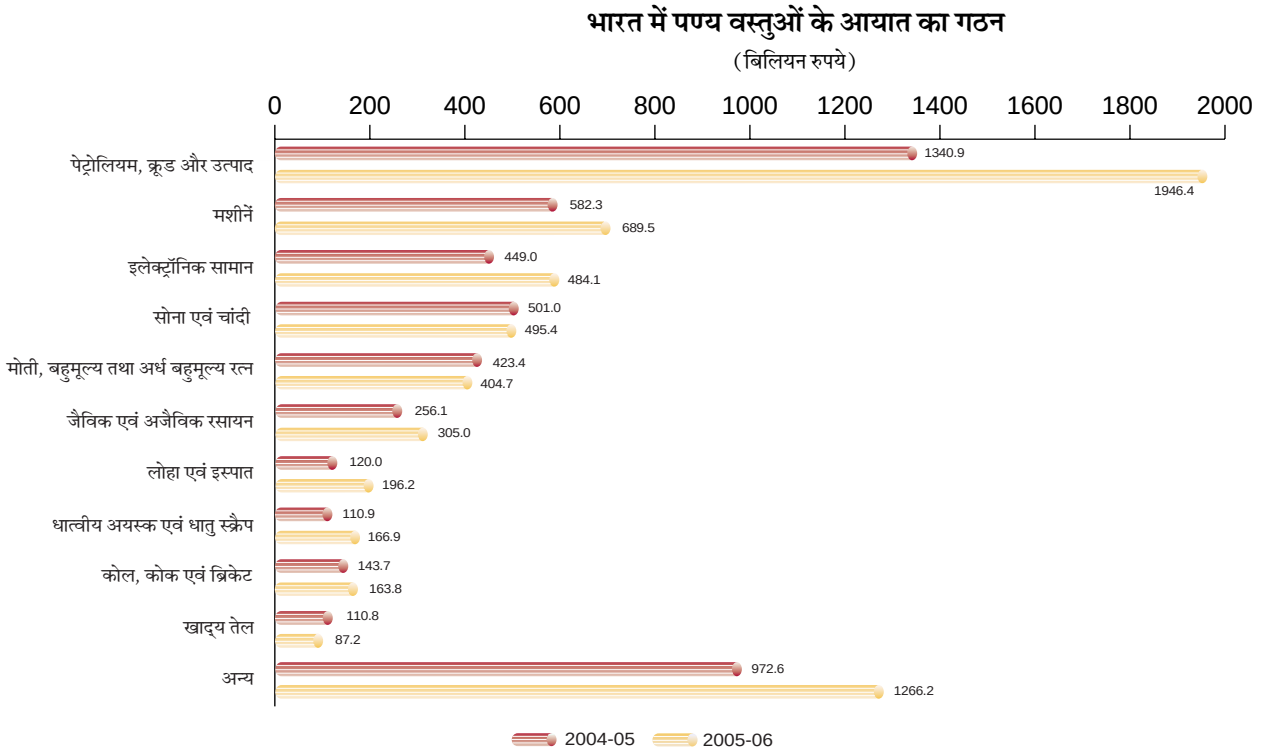

यू एस डॉलर हो जाने का अनुमान है। पोर्टफोलियो निवेशों तथा वाणिज्यिक बैंक उधारों में तीव्र वृद्धि का उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निवल पूंजी प्रवाह में वृद्धि में सर्वाधिक हिस्सा रहा । यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका और मध्य पूर्व में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निवल पूंजी प्रवाहों में वृद्धि का हिस्सा रहा जबकि एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में 2005 के दौरान गिरावट दर्ज की ।

संभावित यूरोपीय संघ अधिमिलन देशों जैसे रोमानिया तथा तुर्की के प्रति वैश्विक निवेशकों के बढ़ते रुझान को प्रतिबिंबित करते हुए, यूरोप में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवल निजी पूंजी प्रवाह 2004 के 121.0 बिलियन यू एस डॉलर से तेज़ी से बढ़कर 2005 में अनुमानत: 172.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया और इस प्रकार 2005 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कुल निवल निजी पूंजी प्रवाह की वृद्धि में इसका सर्वाधिक हिस्सा रहा । लैटिन अमेरिका में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, निवल निजी पूंजी प्रवाह 2004 के 29.1 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2005 में 50.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया, जबकि अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी निवल निजी पूंजी प्रवाह इसी अवधि के दौरान 10.6 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 29.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया तथापि एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मामले में निवल निजी पूंजी प्रवाह निवल प्रत्यक्ष निवेशों तथा वाणिज्यिक बैंक उधार दोनों में मंदी के कारण 2004 के 168.6 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 2005 में 147.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया ।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संयुक्त चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 144.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2005 में 231.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । इसका श्रेय एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के चालू खाता अधिशेष में तीव्र वृद्धि को जाता है जो 2004 के 117.9 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2005 में 170.6 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया गया है। लैटिन अमेरिका में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चालू खाता अधिशेष 2004 के 21.7 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2005 में अनुमानत: 34.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गया, जबकि अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में उभरती

अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता अधिशेष इसी अवधि के दौरान 6.0 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 7.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । यूरोप में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मामले में चालू खाते में गत वर्ष के दौरान 1.4 बिलियन यू एस डॉलर के घाटे के विपरीत 2005 में 19.4 बिलियन यू एस डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया ।

विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के लिए माल तथा सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2004 के 97.3 प्रतिशत से घटकर 2005 में 82.1 प्रतिशत हो गया । लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के लिए माल तथा सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2005 में 142.3 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक था। उसके बाद मध्य तथा पूर्वी यूरोप (109.3 प्रतिशत), अफ्रीका (91.2 प्रतिशत), सी आइ एस (86.1 प्रतिशत), मध्य - पूर्व (63.4 प्रतिशत), तथा एशिया (54.2 प्रतिशत) का स्थान था । विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के लिए ऋण शोधन भुगतान 2004 के 15.4 प्रतिशत से घटकर 2005 में 14.8 प्रतिशत हो गया ।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2005-06* के दौरान, आर्थिक कार्यकलापों में सतत वृद्धि की गति दर्शाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र में बढ़े हुए कार्यकलापों तथा सेवा क्षेत्र में सतत तेज़ी और साथ ही कृषि क्षेत्र में सुधार से 2005-06 के दौरान समग्र वृद्धि से तेज़ी आई है।

कृषि

2004-05 के दौरान 0.7 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज करने के बाद कृषि क्षेत्र में 2005-06 के दौरान 3.9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ सुधार देखा गया । वर्ष के दौरान लगभग सामान्य वर्षा और खाद्यान्न उत्पादन में परिणामी वृद्धि ने कृषि क्षेत्र में सुधार में योगदान दिया । खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष के 204.6 मिलियन टन की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 209.3 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है।

उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र ने गत वर्ष की 8.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 8.0 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ सतत ज़ोरदार निष्पादन दर्ज किया है जिसमें विनिर्माण तथा बिजली क्षेत्रों में वर्धित कार्यकलापों का प्रमुख योगदान रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में गत वर्ष के दौरान 9.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 9.0 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि बिजली क्षेत्र में 2004-05 के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथापि खनन क्षेत्र में गत वर्ष के दौरान 4.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 0.7 प्रतिशत की मंद वृद्धि दर्ज की गयी ।

उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार पूंजीगत माल क्षेत्र ने गत वर्ष के दौरान दर्ज

'निक्स ड्रग्स' न्यू जर्सी, यू एस ए में स्थित एक औषधि भंडार, जिसका अर्जन हैदराबाद की एक कंपनी नैटको फार्मा लि. द्वारा जेनरिक दवाइयों की बिक्री केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु किया गया है। इस अधिग्रहण को एक्ज़िम बैंक ने अपने समुद्रपारीय निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित किया है।

* इस खंड में दिए गए आंकड़े भारतीय वित्त वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च तक रहता है।

की गई 13.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 15.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है । टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र ने भी 2005-06 के दौरान 14.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद गैर-टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र (11.0 प्रतिशत), मूल वस्तु क्षेत्र (6.6 प्रतिशत) तथा मध्यवर्ती माल क्षेत्र (2.3 प्रतिशत) का स्थान रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र में 17 औद्योगिक उप-समूहों में से सात क्षेत्रों ने 2005-06 के दौरान 10 प्रतिशत तथा इससे अधिक की वृद्धि दरें दर्ज की हैं। इन क्षेत्रों में पेय तथा तम्बाकू, टेक्सटाइल उत्पाद (परिधान सहित), अधात्विक खनिज उत्पाद,मूल धातु तथा मिश्र धातु, मशीनें तथा उपकरण (परिवहन उपकरण से भिन्न), परिवहन उपकरण तथा पुर्ज़े और विनिर्माण उद्योग शामिल हैं। चार क्षेत्रों अर्थात लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद, कागज़ तथा कागज़ उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद और धातु उत्पाद तथा पुर्जों ने वर्ष के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

बुनियादी क्षेत्र

छह बुनियादी क्षेत्र तथा मूल उद्योगों अर्थात अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट तथा तैयार इस्पात ने गत वर्ष के दौरान दर्ज की गई 5.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 4.9 प्रतिशत की संयुक्त वृद्धि दर्ज की है। 2005-06 के दौरान, सीमेंट ने 12.3 प्रतिशत की तीव्र

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये)

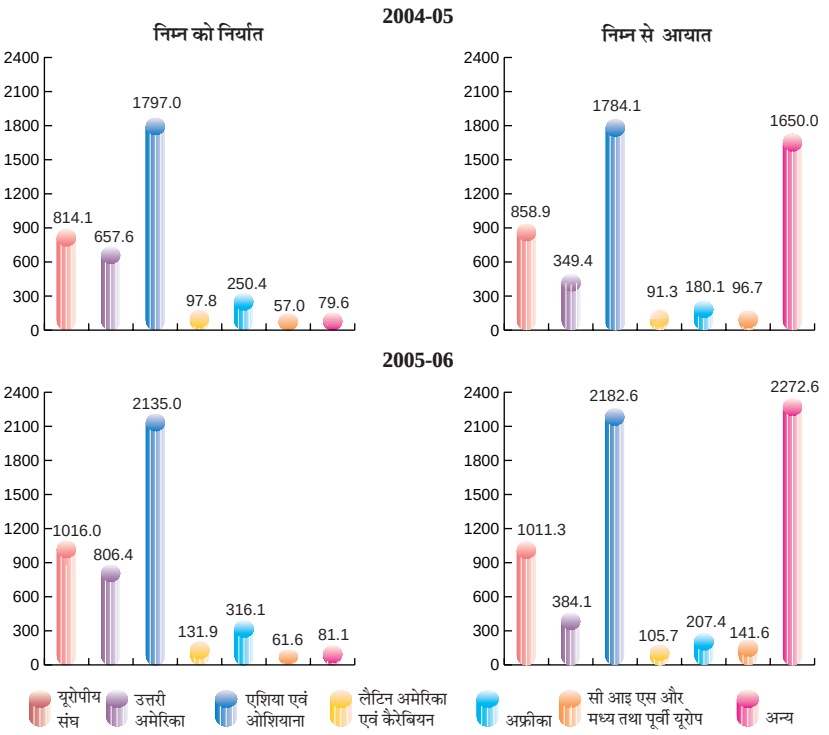

वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद तैयार इस्पात (6.5 प्रतिशत), कोयला (6.4 प्रतिशत), बिजली (5.1 प्रतिशत) तथा पेट्रोलियम शोधन उत्पाद (2.1 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि अपरिष्कृत पेट्रोलियम में वर्ष के दौरान 5.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

पूंजी बाज़ार

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश 2004-05 के दौरान 10.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2005-06 में 9.3 बिलियन यू एस डॉलर रहा। प्राथमिक बाज़ार से जुटायी गई पूंजी 2004-05 में 60 निर्गमों से 282.5 बिलियन रुपये की तुलना में 2005-06 के दौरान 138 निर्गमों में 273.0 बिलियन रुपये रही ।

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित बिंदु-दर-बिंदु आधार पर मुद्रास्फीति की दर मार्च 2005 के अंत में 5.1 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2006 के अंत में 4.0 प्रतिशत थी। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वृद्धि दर 2004-05 के दौरान 12.1 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 के दौरान 20.4 प्रतिशत थी ।

विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन

वर्ष 2005-06 के दौरान भारत के पण्य निर्यात में अमेरिकी डॉलर के मूल्य की दृष्टि से गत वर्ष के दौरान 26.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 24.7 प्रतिशत की लगातार तीव्र वृद्धि दर्ज की गई ।

समग्र रूप से भारत का पण्य निर्यात 2004-05 के दौरान 80.7 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर से बढ़कर 2005-06 में 100 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर को पार कर 100.6 बिलियन यू एस डॉलर पर पहुँच गया । सॉफ्टवेयर निर्यात, जो पण्य निर्यात में शामिल नहीं है, ने भी 2005-06 के दौरान 31.3 प्रतिशत की सतत तीव्र वृद्धि दर्ज की है और इसके 2004-05 के 18.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 23.9 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने का अनुमान लगाया गया है। निर्यात में इस तेज़ी का श्रेय देशी अर्थव्यवस्था में वर्धित कार्यकलापों तथा सतत विदेशी मांग को जाता है। 2005-06 के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज करने वाली निर्यात मदों में प्रसंस्कृत खाद्य, अयस्क एवं खनिज, मूल रसायन और औषधियां, मशीनें एवं उपकरण, परिवहन उपकरण, अलौह धातु, तैयार वस्त्र तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान आयातों में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और ये गत वर्ष के 106.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर 140.2 बिलियन यू एस डॉलर के हो गये। गैर -तेल आयातों में तेज़ी के साथ तेल आयातों में तीव्र वृद्धि ने समग्र आयातों की वृद्धि में योगदान दिया है। 2005-06 के दौरान तेल आयात 43.8 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का था जिसमें गत वर्ष की 45.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 46.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देशी विनिर्माण कार्यकलापों में तेज़ी को दर्शाते हुए गैर-तेल आयात 2005-06 के दौरान 25.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 96.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। 2005-06 के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज करने वाली आयात मदों में उर्वरक, धात्विक अयस्क तथा धातु स्क्रैप, लोहा एवं इस्पात, गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनें, औषधीय तथा औषधि उत्पाद, धातुओं का विनिर्माण और कॉटन यार्न तथा फैब्रिक्स शामिल हैं। 2005-06 के दौरान व्यापार घाटा गत वर्ष के 26.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 39.6 बिलियन यू एस डॉलर के उच्चतर स्तर पर रहा ।

2005-06 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, अदृश्य मदों का निवल अंतर्वाह गत वर्ष के 31.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 28.1 बिलियन यू एस डॉलर रहा । भारत के सेवाओं के निर्यात 2004-05 के 46.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2005-06 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 41.2 बिलियन यू एस डॉलर के थे। चालू खाता घाटा 2004-05 के दौरान 5.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2005-06 (अप्रैल - दिसंबर) में 13.5 बिलियन यू एस डॉलर का था ।

2005-06 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह गत वर्ष के 5.65 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 5.97 बिलियन यू एस डॉलर था। मार्च 2006 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 151.6 बिलियन यू एस डॉलर था जो लगभग 13 महीने के आयात के लिए कवर का प्रतिनिधित्व करता है।

एक टक्नोक्रैट द्वारा प्रवर्तित पुणे स्थित प्राज इंडस्ट्रीज़ लि.ने एक्ज़िम बैंक के सहयोग से कोलम्बिया में यंत्रीकरण तथा ऑटोमेशन में अद्यतन प्रौद्योगिकी शामिल करते हुए ईंधन ईथनोल के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक टर्नकी परियोजना स्थापित की है। चीनी मिल - से संबद्ध यह संयंत्र गन्ने के रस एवं शीरे का उपयोग कर ईथेनॉल का उत्पादन करेगा।

भारत का कुल विदेशी ऋण यथा मार्च 2004 के अंत में 111.7 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 123.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया किंतु उसके बाद घटकर यथा दिसंबर 2005 के अंत में 119.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । कुल विदेशी ऋण के अनुपात में अल्पावधि ऋण का अनुपात यथा मार्च 2004 के अंत में 4.0 प्रतिशत से बढ़कर यथा मार्च 2005 के अंत में 6.1 प्रतिशत हो गया और पुन: यथा दिसंबर 2005 के अंत में 7.5 प्रतिशत हो गया ।

चुनिंदा क्षेत्रों के लिए भावी संभावनाएं

वस्त्र एवं परिधान

वस्त्र एवं परिधान उद्योग उत्पादन, विदेशी मुद्रा आय और रोज़गार सृजन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा तथा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। कोटा प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने से भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग को भारी लाभ होने की संभावना है। एक्ज़िम बैंक के शोध आलेख ने अनुमान लगाया है कि वस्त्र एवं परिधान का विश्व निर्यात 2014 तक 800 बिलियन यू एस डॉलर का स्तर पार कर जाएगा और इसमें भारत का हिस्सा 3 प्रतिशत (12.6 बिलियन यू एस डॉलर) के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 9 प्रतिशत (70 बिलियन यू एस डॉलर) होगा । हालांकि चीन को कोटा पश्चात व्यवस्था में प्रमुख लाभार्थी माना जा रहा है तथापि डिज़ाइन तथा फैशन कौशल की दृष्टि से भारतीय क्षमता इस क्षेत्र को उच्च मूल्य के सूती वस्त्र की सुखद स्थिति में रखेगी ।

दवाइयां एवं औषधियां

भारत विश्व में थोक दवाइयों का शीर्ष निर्माता और शीर्ष 20 औषधि निर्यातकों में से एक है। यह उद्योग उपचारात्मक उत्पादों की लगभग समूची शृंखला का विनिर्माण करता है और मूलभूत चरण से थोक दवाइयों की एक व्यापक शृंखला विनिर्मित करने के लिए कच्चा माल तैयार करने की स्थिति में है। यह उद्योग अपनी अंतर्निहित शक्तियों जैसे लागत प्रतिस्पर्धात्मकता (अनुसंधान एवं विकास लागत सहित), एक मज़बूत विनिर्माण आधार, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से युक्त प्रयोगशालाओं के सुस्थापित नेटवर्क, मज़बूत विपणन तथा वितरण नेटवर्क और रसायन तथा प्रक्रम विकास में सक्षमता के बल पर उन्नति कर रहा है।

नई पेटेंट व्यवस्था लागू हो जाने से भारतीय औषधि कंपनियां प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अंतरराष्ट्रीय विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के अतिरिक्त अपनी विनिर्माण सुविधाओं को उन्नत करने की प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2005 में औषधियों की वैश्विक बिक्री 602 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है। यह भी अनुमान है कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का सक्रिय अनुसंधान तथा विकास प्रक्रिया में 27 प्रतिशत हिस्सा रहेगा और 2005 में वैश्विक औषधि बिक्री में इसका हिस्सा 8.7 प्रतिशत रहेगा। औषधि उत्पादों का वैश्विक निर्यात 2004 में 247 बिलियन यू एस डॉलर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषण से नए अवसर उभरेंगे । अपने बढ़ते जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ भारत के पास निकट भविष्य में बायोफार्मास्युटिकल की लहर के आगे बढ़ने की संभावना है।

क्यू एस नामक यू.के. आधारित रिटेल चेन का दृश्य। 'क्यू एस' एवं 'बिवाइज़', हमसर्द 2353 लिमिटेड के स्वामित्व में यू.के. आधारित रिटेल चेन हैं। मुंबई की आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्ज़िम बैंक की सहायता से अपने उत्पादों हेतु रिटेल आउटलेट के लिए हमसर्द में रणनीतिक ईक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है।

ऑटो-पुर्जे

भारतीय ऑटो-पुर्जे का क्षेत्र एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हुआ है उदारीकरण के बाद भारत से बहुराष्ट्रीय ऑटो कंपनियों के प्रवेश ने उद्योग को अत्यधिक कौशल गहन और गुणवत्ता सचेत बना दिया है। भारत को अब ऑटो-पुर्जों की डिज़ाइनिंग, विनिर्माण तथा आउटसोर्सिंग के लिए एक केंद्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यह उद्योग, लागत तथा गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से तेज़ी से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत में ऑटो डिज़ाइन की लागत यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी लागत के 1/12 से भी कम होगी । इसी प्रकार विनिर्माण की लागत भी संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी लागत के 1/10 से कम होने की आशा है।

ऐसा अनुमान है कि विश्व ऑटो पुर्जा उद्योग 2015 तक 1.9 ट्रिलियन यू एस डॉलर के स्तर तक पहुँच जाएगा जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत (700 बिलियन यू एस डॉलर) भारत जैसे विकासशील देशों से आउटसोर्स किए जाने की संभावना है। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय ऑटो पुर्जा उद्योग में उच्च वृद्धि दर दर्ज होने की संभावना है और यह लगभग 8.7 बिलियन यू एस डॉलर के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2015 तक 40 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच जाएगा । एक अन्य अध्ययन ने इस क्षेत्र का मूल्यांकन किया है और भारत की गुणवत्ता उत्पादों की दृष्टि से एक प्रमुख स्थान के रूप में पहचान की है।

खाद्य प्रसंस्करण

भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग विनिर्माण सकल देशी उत्पाद का 14 प्रतिशत है और इसका बाज़ार आकार 2 ट्रिलियन रुपये से अधिक का है। भारत के पास विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण स्तर है और यह खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल की देशी उपलब्धता प्रदान करता है । भारत दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर और मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। खाद्य उत्पादों का वैश्विक निर्यात 2004 में 627 बिलियन यू एस डॉलर रहा है। वैश्विक खाद्य व्यापार में प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा पिछले 20 वर्षों में विश्व खाद्य व्यापार के लगभग 50 प्रतिशत से बढ़कर लगभग दो-तिहाई हो गया है और यह प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व व्यापार संगठन सदस्यों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा सब्सिडी में कमी करने से संबंधित वचनबद्धता से निकट भविष्य में भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए नये अवसर उत्पन्न होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत के प्रारूप 'विज़न दस्तावेज़' के अनुसार, भारत के पास 2015 तक कृषि तथा खाद्य उत्पादों के वैश्विक व्यापार में 3 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने की संभाव्यता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भूमिका सिर्फ यह स्तर प्राप्त करने के लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसानों को उचित कीमतें सुनिश्चित करना और उनकी आय के स्तर को भी बढ़ाना है।

रसायन

भारतीय रसायन उद्योग 30 बिलियन यू एस डॉलर के टर्नओवर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इस उद्योग का लगभग 14 प्रतिशत, कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 18 प्रतिशत और राष्ट्रीय निर्यात आय में लगभग 14 प्रतिशत हिस्सा है। रसायनों, औषधियों से भिन्न, में वैश्विक व्यापार 2004 में 729 बिलियन यू एस डॉलर रहा है। व्यापार की मात्रा में और वृद्धि होने की आशा है। विकसित देश उच्च श्रम लागत के कारण कई रसायनों का उत्पादन चरणबद्ध रूप में समाप्त कर रहे हैं । भारत जैसे विकासशील देश-बढ़ते विश्व बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता का विस्तार करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं । भारत में रसायन की प्रति व्यक्ति खपत भी निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रयोग के लिए रसायनों का अनुप्रयोग भी इस उद्योग में भावी वृद्धि की प्रत्याशा करने के लिए एक अन्य कारक है।

इंजीनियरी माल

वैश्विक आर्थिक निष्पादन विशेषकर विकासशील देशों में औद्योगिक मशीनों की मांग को उत्प्रेरित करेगा । केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार के अनुसार, इंजीनियरी माल क्षेत्र ने 2005-06 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इंजीनियरी माल के निर्यात में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है और इनका निर्यात 2000-01 से 26 प्रतिशत के

सी ए जी आर के साथ 2004-05 में 14.7 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया। 2005-06 के दौरान इंजीनियरी माल का निर्यात गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में 24.6 प्रतिशत की सतत तीव्र वृद्धि के साथ 19.2 बिलियन यू एस डॉलर था। एक मज़बूत अर्थव्यवस्था तथा पूंजी माल की बढ़ती मांग को देखते हुए यह आशा की जाती है कि भारतीय इंजीनियरी फर्में क्षमता बढ़ाएंगी। भारतीय इंजीनियरी कंपनियां विदेशों में क्षमताएं स्थापित करने और वैश्विक अधिग्रहण करने की संभावनाओं का सक्रिय रूप से पता लगा रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के प्रमुख खंडों से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े शामिल हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उत्पादन पिछले पांच वर्षों में 12 प्रतिशत से अधिक के सी ए जी आर के साथ बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा निर्यात 2005-06 में 2.24 बिलियन यू एस डॉलर के थे। उद्योग की निर्यात उन्मुखता लगभग 17 प्रतिशत है। यह अनुमान है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग 2010 तक 70 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर तक पहुँच जाएगा। दो-तिहाई से अधिक या 45 बिलियन यू एस डॉलर देशी मांग होगी जिसमें से 80 प्रतिशत का देश में ही विनिर्माण होने की संभावना है। शेष 25 बिलियन यू एस डॉलर निर्यात होने का अनुमान है। लगभग आधी निर्यात आय ओ ई एम आपूर्तियों तथा संयोजनों से होने की आशा है। भारत के पास वैश्विक बाज़ार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आइ टी हार्डवेयर विकसित तथा निर्मित करने और सूचना, संचार तथा मनोरंजन के कन्वर्जिंग क्षेत्रों में देश की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त व्यापार में उच्चतर वैश्विक हिस्सा प्राप्त करने की क्षमता है। उद्योग वैश्विक बाज़ारों में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा अर्जित ब्रांड ईक्विटी का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ सकता है।

पेट्रोलियम उत्पाद

भारतीय पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र 2000-01 से निर्यात में तीव्र वृद्धि दर्ज कर रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात न केवल मात्रा की दृष्टि से बढ़ा है, बल्कि इसने भारत की शीर्ष पांच निर्यात मदों की सूची में भी स्थान बना लिया है। भारत ऊर्जा मांग की दृष्टि से विश्व में छठे स्थान पर है। भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। भारत विज़न 2020 के अनुसार, भारत में ऊर्जा की मांग 2020 तक वर्तमान आवश्यकता से तिगुनी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी एशियाई बाज़ारों से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भी बढ़ने की आशा है। भारतीय कंपनियों से तेल शोधन विशेषज्ञता में अपनी रणनीतिक अग्रता का लाभ उठाने और अपनी शोधन क्षमता का विस्तार करने की आशा की जाती है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय कंपनियों को समुद्रपारीय ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन की किफायत प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता तेज़ करने के उद्देश्य से एकीकरण (अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम) की संभाव्यता भी महसूस की है।

नीतिगत परिवेश

विदेश व्यापार नीति 2004-2009 द्वारा निर्दिष्ट भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भावी रूप रेखा में 2009 तक वैश्विक पण्य व्यापार में भारत के प्रतिशत हिस्से को दुगुना करना और रोज़गार सृजन पर ज़ोर के साथ समग्र आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान देना शामिल है।

इस दिशा में, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006, जिन्हें 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया है, निर्यात उत्पादन तथा निवेश बढ़ाने और साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों में रोज़गार सृजित करने के लिए परिकल्पित हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रियाओं के पर्याप्त सरलीकरण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों से संबंधित मामलों के लिए और केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित मामलों के लिए भी एकल स्रोत अनुमोदन का प्रावधान है। इसके अलावा, अप्रैल 2006 में घोषित विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के वार्षिक पूरक ने विशेष फ़ोकस क्षेत्रों की पहचान करने तथा उन्हें संपोषित करने के लिए कई उपाय शुरू किये हैं जिनसे विशेषकर अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सृजित हो सकते हैं।

निवेश के लिए एक उच्च संभाव्य स्थान के रूप में भारत के उभरने से, निवेश अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये गये हैं जिनमें; पेट्रोलियम उत्पाद विपणन, लघु एवं मध्यम आकार दोनों क्षेत्रों में तेल की खोज तथा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; सरकार के पूर्व अनुमोदन से 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति; भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ए आर सी) की ईक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति शामिल है। भारत में बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने की अनुमति देने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ) और अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा जारी टीयर I तथा टीयर II लिखतों में अभिदान करने की अनुमति दी गई है।

विदेशों में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने तथा भारतीय कंपनियों को भूमंडलीकरण का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, समुद्रपारीय निवेश पर उच्चतम सीमा स्वत:अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत निवेशक कंपनी की निवल संपत्ति के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गयी है। इसके अलावा, अच्छे पिछले रिकार्ड एवं सतत उच्च कार्य निष्पादन वाले मान्यताप्राप्त स्टार निर्यातकों को भूमंडलीकरण का लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से स्वाम्य / अपंजीकृत साझेदारी फर्मों को भारत से बाहर संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करने की अनुमति दी गई है।

सीमा शुल्क कम करने की नीति के अनुरूप वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में, गैर-कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क की चरम दर 15.0 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई है। मिश्र धातु इस्पात तथा अलौह धातु पर सीमा शुल्क की दर 10.0 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है जबकि खनिज उत्पादों के लिए सीमा शुल्क 15.0 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत और अयस्क तथा सान्द्रणों के लिए 5.0 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत कर दी गई है। अकार्बनिक रसायनों पर सीमा शुल्क 15.0 प्रतिशत से घटाकर 10.0 प्रतिशत तथा प्रमुख बल्क प्लास्टिकों के लिए 10.0 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, पैकेजिंग मशीनों पर सीमा शुल्क 15.0 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि सभी मानव निर्मित फाइबरों तथा यार्न पर सीमा शुल्क 15.0 प्रतिशत से घटाकर 10.0 प्रतिशत कर दिया गया है।

लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे संयंत्र एवं मशीनों में लघु उद्योग सीमा (10 मिलियन रुपये) से अधिक तथा 100 मिलियन रुपये तक निवेश वाली इकाइयों को मध्यम आकार के उद्यम मानें; लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एस एम ई) को ऋण प्रदान करने के लिए उदार तथा व्यापक नीतियाँ तैयार करें और पहचाने गए समूहों / केंद्रों में विशेषीकृत एस एम ई शाखाओं की मौज़ूदगी सुनिश्चित करें, बहु-रेशा व्यवस्था की समाप्ति के बाद भारतीय टेक्सटाइल इकाइयों में क्षमता विस्तार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन सुगम बनाने के उद्देश्य से, बैंकों को टेक्सटाइल इकाइयों के आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा जुटायी गई बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियों के संबंध में गारंटियां या सहायक साखपत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

भारत : द्रुतगामी प्रगति

(2005-06 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- बैंकों को संयंत्रों एवं मशीनों में लघु उद्योग सीमा (10 मिलियन रुपये) से अधिक और 100 मिलियन रुपये तक निवेश वाली इकाइयों को मध्यम आकार का उद्यम मानने के लिए सूचित किया गया है।
- बैंक लघु एवं मध्यम आकार उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए उदार तथा व्यापक नीतियां तैयार करें, पहचाने गये समूहों / केंद्रों में विशेषीकृत लघु एवं मध्यम आकार उद्यम शाखाओं की मौज़ूदगी सुनिश्चित करें ।
- बैंकों को टेक्सटाइल इकाइयों के आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा जुटायी गई बाह्य वाणिज्यिक उधार राशियों के संबंध में गारंटियां या सहायक साखपत्र जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

व्यापार नीति

- विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006, जिसे 10 फरवरी 2006 से लागू किया गया है, में प्रक्रियाओं के पर्याप्त सरलीकरण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों से संबंधित मामलों के लिए और केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित मामलों के लिए भी एकल स्रोत अनुमोदन का प्रावधान है।
- गैर-कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क की चरम दर 15.0 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत की गई है।
- मिश्र धातु, इस्पात तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक अलौह धातुओं, खनिज उत्पादों, अयस्क तथा सांद्रणों, अकार्बनिक रसायनों तथा सभी मानव निर्मित रेशों तथा यार्न सहित कई कच्चे माल तथा मध्यवर्ती माल पर सीमा शुल्क की दरें कम की गई हैं। पैकेजिंग मशीनों पर भी सीमा शुल्क में कमी की गयी है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

- पेट्रोलियम उत्पाद विपणन, लघु एवं मध्यम दोनों आकार के क्षेत्रों में तेल की खोज तथा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ।
- सरकार के पूर्व अनुमोदन से 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा जारी टीयर I तथा टीयर II लिखतों में अभिदान करने की अनुमति।

समुद्रपारीय निवेश नीति

- समुद्रपारीय निवेश पर उच्चतम सीमा स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत निवेशक कंपनी की निवल संपत्ति के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत की गई है।
- स्वाम्य / अपंजीकृत साझेदारी फर्मों को भारत से बाहर संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करने की अनुमति दी गई है।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

परिचालनों की समीक्षा

2005-06 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत 204.89 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की है जो 2004-05 (अप्रैल-मार्च) में मंजूर की गई 158.53 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संवितरण 2004-05 के 114.35 बिलियन रुपये की तुलना में 150.39 बिलियन रुपये के थे, इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है । 31 मार्च 2006 को ऋण-आस्तियाँ 180.28 बिलियन रुपये की थीं। इनमें गत वर्ष के मुकाबले 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है । बैंक ने 2004-05 के 15.89 बिलियन रुपये की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 43.26 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर की हैं । 2004-05 में जारी की गई 16.60 बिलियन रुपये की गारंटियों की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में 21.96 बिलियन रुपये की गारंटियाँ जारी की गयी थीं । 31 मार्च 2006 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ 31 मार्च 2005 के 23.73 बिलियन रुपये की तुलना में 34.02 बिलियन रुपये की थीं। यथा 31 मार्च 2006 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 60 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि शेष 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के ऋण थे। कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋण का हिस्सा 30 प्रतिशत था। बैंक ने वर्ष 2004-05 के लिए 3.14 बिलियन रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान सामान्य निधि लेखे में 3.77 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है । आय कर के रूप में 1.06 बिलियन रुपये का प्रावधान करने के बाद 2005-06 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि 2.71 बिलियन रुपये है जबकि 2004-05 में यह 2.58 बिलियन रुपये थी । इस लाभ में से 867.50 मिलियन रुपये की राशि भारत सरकार को लाभांश के रूप में अदा की गई है । लाभांश के जरिए वितरित लाभ पर कर के लिए 121.70 मिलियन रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 428.14 मिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि में 50 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि में 100 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 500 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। 2005-06 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ 19.21 मिलियन रुपये है जबकि 2004-05 में यह 17.08 मिलियन रुपये था । कर के रूप में 6.47 मिलियन रुपये का प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि 12.74 मिलियन रुपये है जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान यह राशि 10.83 मिलियन रुपये थी । 12.74 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है ।

वर्ष के वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए बैंक के निदेशक मंडल की बैठक

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है :

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन
III. संयुक्त उद्यम
IV. नयी पहलें
V. वित्तीय निष्पादन
VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VII. संस्थागत संबंध
VIII. सूचना प्रौद्योगिकी
IX. शोध एवं विश्लेषण
X. मानव संसाधन प्रबंधन
XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान 135.30 बिलियन रुपये की पाँच सौ अड़सठ संविदाएँ एक्ज़िम बैंक की सहायता से एक सौ चौहत्तर भारतीय निर्यातकों ने चौंसठ देशों के लिए प्राप्त कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान एक सौ अट्ठानवे भारतीय निर्यातकों द्वारा चौंसठ देशों के लिए पांच सौ सत्तर संविदाएँ प्राप्त की गयी थीं जो 79.45 बिलियन रुपये मूल्य की थीं । एक्ज़िम बैंक / कार्यकारी दल [1] इस प्रकार की निर्यात संविदाओं को स्वीकृति प्रदान करता है ।

एक्ज़िम बैंक के समर्थन से वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी संविदाओं में 87.71 बिलियन रुपये मूल्य की बावन टर्नकी संविदाएं, 6.63 बिलियन रुपये मूल्य की नौ निर्माण संविदाएं, 38.51 बिलियन रुपये मूल्य की चार सौ इक्यानवे आपूर्ति संविदाएं और 2.45 बिलियन रुपये मूल्य की सोलह परामर्शदात्री संविदाएं शामिल थीं ।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख टर्नकी संविदाओं में सूडान में 500 मेगावॉट भाप आधारित बिजली संयंत्र तथा 2000 टी पी डी सीमेंट संयंत्र; ओमान में 378 मेगावाट गैस टरबाइन आधारित बिजली संयंत्र; क़तार

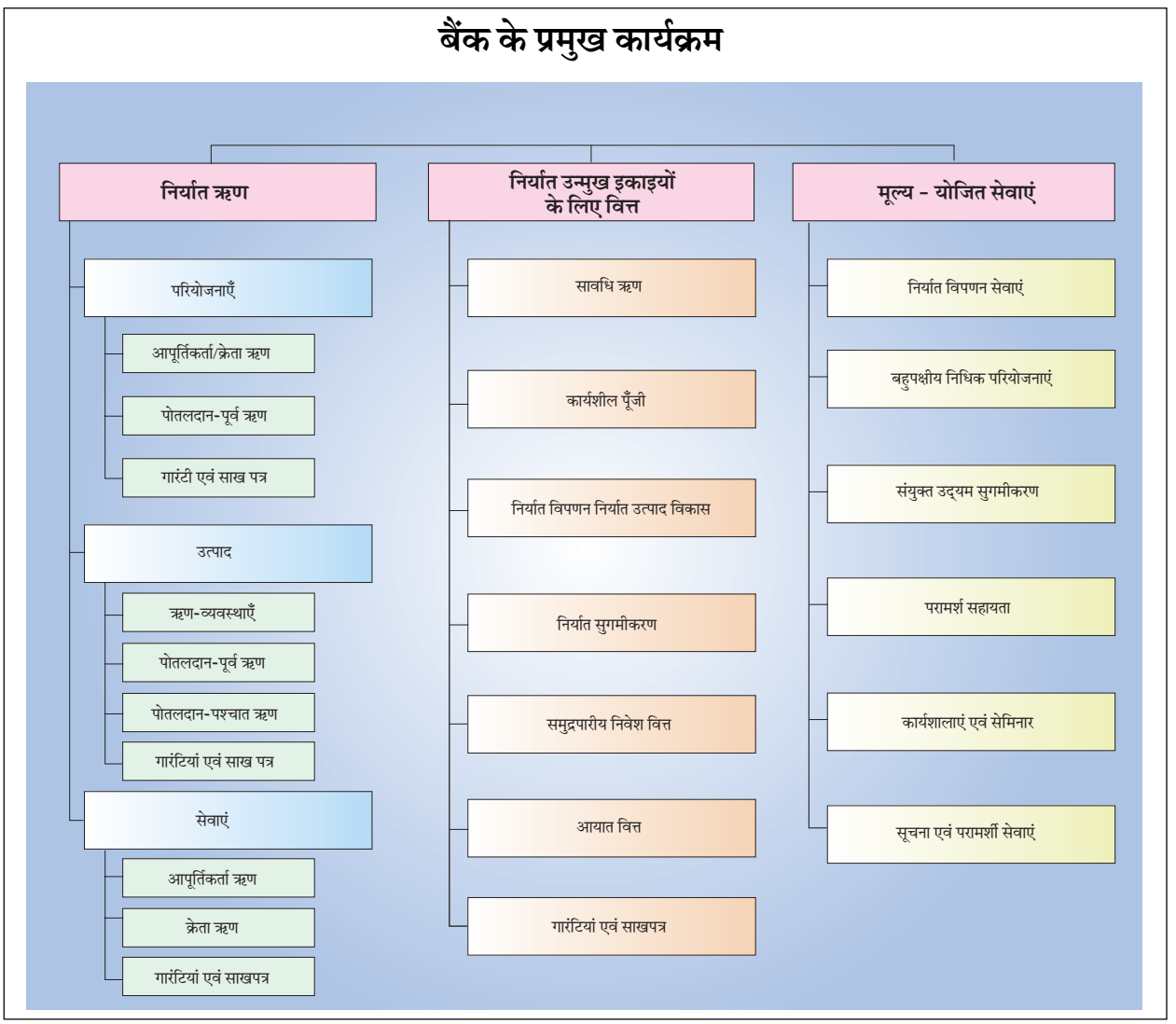

[1] कार्यकारी दल एक अंतर-संस्थागत व्यवस्था है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि., भारत सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं । यह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है ।

में उप-स्टेशन परियोजनाएं, मलेशिया में ल्युब्रिकैंट बेस आयल संयंत्र; अल्जीरिया, ईथियोपिया तथा लीबिया में उच्च वोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन परियोजनाएं; अफगनिस्तान और ईथियोपिया में वितरण नेटवर्क परियोजनाएं; यू ए ई में वाणिज्यिक काम्पलेक्सों के लिए इलेक्ट्रो-मेकैनिकल तथा प्लम्बिंग कार्य; मोज़ाम्बिक में कंकरीट स्लीपरों के विनिर्माण के लिए संयंत्र; ऑस्ट्रेलिया में निकल खान के एल पी जी बुलेट तथा प्रसंस्करण संयंत्र; यू एस ए में रिफाइनरी परियोजना के लिए रिएक्टरों तथा - सेपरेटरों की आपूर्ति एवं स्थापना और यू के में रिफाइनरी परियोजना के लिए मोटी भित्ति की स्टेनलेस स्टील वाहिकाओं की आपूर्ति तथा स्थापना शामिल हैं।

निर्माण संविदाओं में यू ए ई में भवनों तथा वाणिज्यिक काम्पलेक्सों का निर्माण, गयाना में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, अफगानिस्तान में सड़कों का पुनर्निर्माण तथा ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग का बदलाव और पुन:चमकाव (रीफर्बिशमेंट) तथा बांग्लादेश में केनेडियन चांसरी का निर्माण शामिल है। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आपूर्ति संविदाओं में श्री लंका को रक्षा उत्पादों तथा पेट्रोलियम उत्पादों, अमेरिका, यूरोप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को औषधियों, वस्त्र,रत्न एवं आभूषण, औद्योगिक उत्पादों तथा

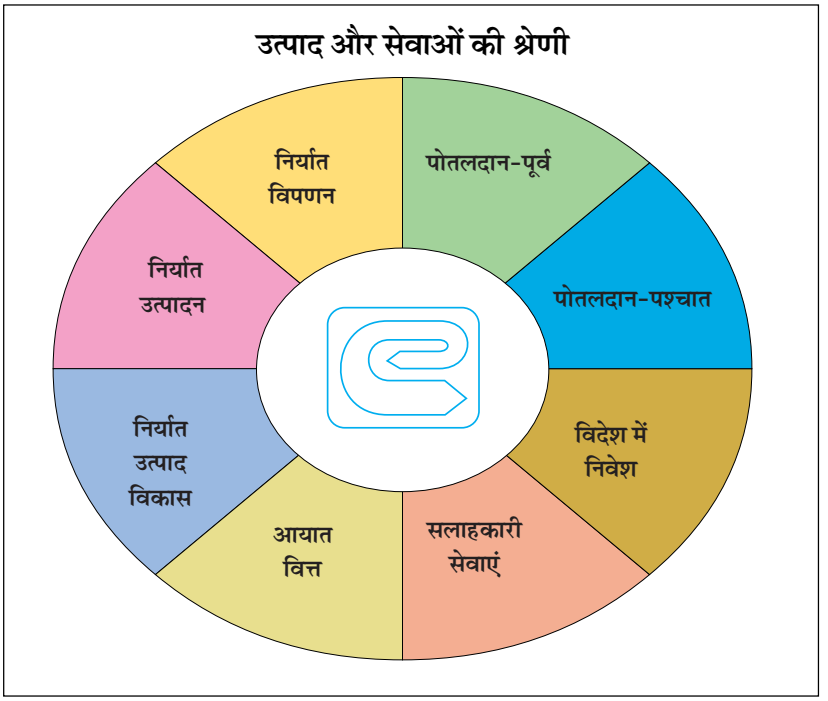

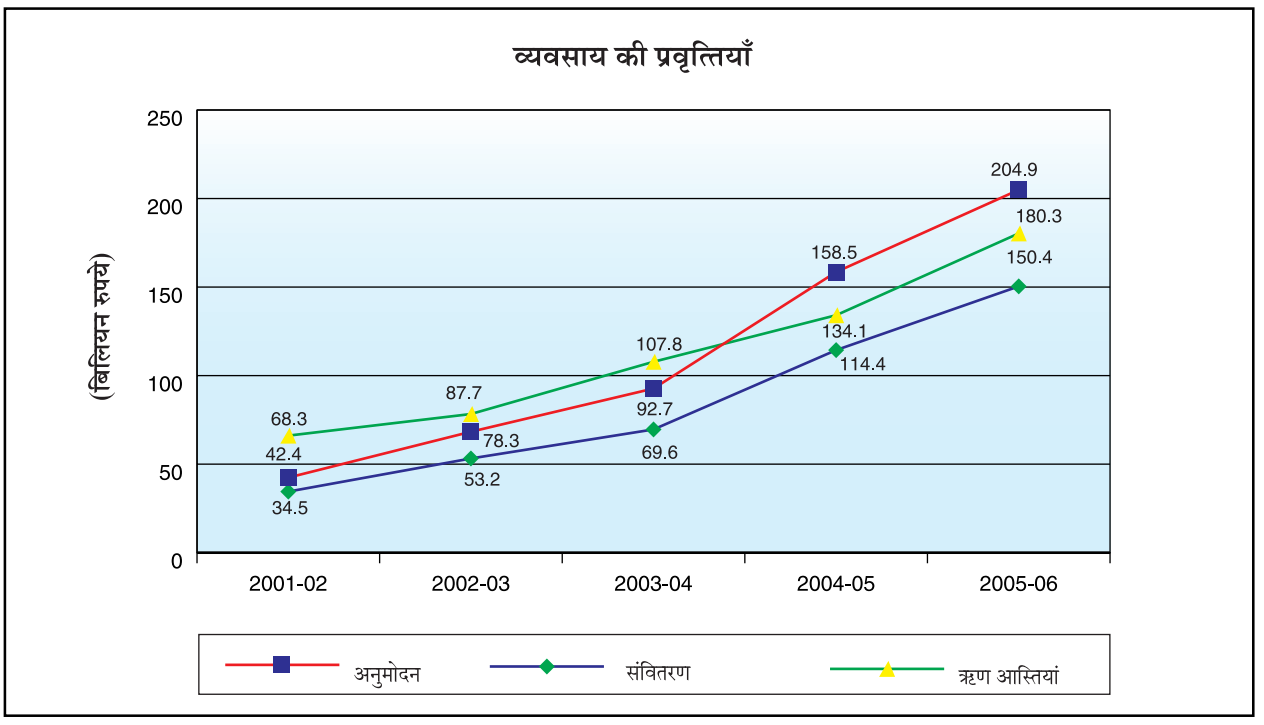

परिष्कृत रसायन, अफ्रीका में देशों को ऑटोमोबाइल तथा ऑटो पुर्जे और पश्चिम एशियाई तथा दक्षिण - पूर्व एशियाई देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात शामिल है।

कुछ प्रमुख तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदाओं में अल्जीरिया में रिफाइनरी परियोजनाओं का पुनर्वास तथा अंगीकरण; मलेशिया के लिए डीज़ल लोकोमोटिव का चार्टर किराया; ईरान में ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स, ईरान में तटीय तथा अपतटीय तेल क्षेत्र विकास सेवाएं प्रदान करने के संविदा; यू ए ई में टैंक फार्म उन्नयन सुविधाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श शामिल हैं।

निर्यात ऋण तथा गारंटियां

वर्ष के दौरान बैंक ने परियोजना निर्यात के लिए आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और वित्त के जरिए कुल 104.39 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की जबकि पिछले वर्ष में ये मंजूरियाँ 62.14 बिलियन रुपये की थीं। इस प्रकार वर्ष के दौरान मंजूरियों में 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों की राशि गत वर्ष के 53.45 बिलियन रुपये की तुलना में 87.85 बिलियन रुपये थी, इसमें 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान अनुमोदित तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के क्रमश: 15.89 बिलियन रुपये तथा 16.60 बिलियन रुपये की तुलना में क्रमश: 43.26 बिलियन रुपये तथा 21.96 बिलियन रुपये थी । ये गारंटियां बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, आधारभूत संरचना विकास और निर्यात दायित्व गारंटियों जैसे क्षेत्रों में समुद्रपारीय परियोजनाओं से संबंधित थीं ।

ऋण-व्यवस्थाएं

बैंक ने लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों पर विशेष फ़ोकस के साथ प्रभावी बाज़ार तंत्र के रूप में ऋण-व्यवस्थाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया है। एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेज़ों के परक्रामण पर किसी दायित्व के बिना एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को, वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है और प्रभावी बाज़ार माध्यम के रूप में कार्य करता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन इसकी भौगोलिक पहुंच तथा मात्रा में तत्परतापूर्वक विस्तार करना चाहता है।

समुद्रपारीय सत्ताओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा, एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के आदेश पर, तथा उसकी सहायता से विकासशील विश्व में चुनिंदा देशों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात में सहायता देने के लिए कुल 836 मिलियन यू एस डॉलर की बीस ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में बी एम सी ई बैंक, मोरक्को; अबसोल्युट बैंक, रूस; पी टी ए बैंक, अफ्रीका; ईस्ट अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक; बैंक मरकज़ी जोम्होरी इस्लामी, ईरान;

शपूरजी पाल्लोनजी एंड कं. लि., मुंबई द्वारा जार्जटाउन, गयाना में निर्माणाधीन एक क्रिकेट स्टेडियम। विश्व कप 2007 के अनेक मैचों का आयोजन करने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का डिज़ाइन तथा निर्माण गयाना सरकार को प्रदान की गई ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

बुर्किना फासो सरकार, चैड, कोत दि' वुआर, कांगो, इक्वाटोरियल गीनिया, ज़ाम्बिया, घाना, माली, नाइजर,सेनेगल तथा सूडान की सरकारों, फिजी शुगर कॉरपोरेशन लि. को प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं बिजली उत्पादन संयंत्र, बिजली वितरण संयंत्र, स्टील बिलिट संयंत्र, साइकिल संयंत्र, ट्रैक्टर असेम्बली संयंत्र, चीनी संयंत्र, पेय जल संयंत्र तथा परिवहन वाहन जैसी मदों, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण, रसायन तथा फार्मास्युटिकल्स और जार्जटाउन, गयाना में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का वित्तपोषण करेंगी। कुल 1,739 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धताओं के साथ अफ्रीका, एशिया, सी आइ एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में अठहत्तर देशों को शामिल करते हुए उनसठ ऋण-व्यवस्थाएं इस समय उपयोग के लिए उपलब्ध हैं और कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

क्रेता ऋण

2005-06 के दौरान बैंक ने यू एस ए और ब्राज़ील, इटली, सिंगापोर, दक्षिण अफ्रीका, यू ए ई सहित विभिन्न देशों से 8 समुद्रपारीय क्रेताओं को भारत से इन देशों को निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए कुल 102.50 मिलियन यू एस डॉलर के ऋण मूंजर किये तथा इस अवधि के दौरान संवितरण कुल 219.56 मिलियन यू एस डॉलर के थे। इन सुविधाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त उत्पादों में वाहन, पी ई टी रेज़िन्स, टेक्सटाइल, तैयार वस्त्र, आभूषण तथा औषधियाँ शामिल हैं।

एस सी बेगा उपसम एस ए, रोमानिया में सोडा ऐश के उत्पादन में लगी एक कंपनी है। गुजरात स्थित कंपनी जी एच सी एल लि., ने अपनी नीदरलैंड स्थित एक अनुषंगी के जरिए, एक्ज़िम बैंक की सहायता से बेगा का अर्जन किया है। 2007 में रोमानिया के यूरोपीय संघ का सदस्य बन जाने के बाद जी एच सी एल को यूरोपीय संघ के अंदर विनिर्माण आधार प्राप्त हो जाएगा।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक शृंखला परिचालित करता है। बैंक ने 2005-06 के दौरान निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 80.72 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण 55.39 बिलियन रुपये के थे।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान बैंक ने छियासठ निर्यात उन्मुख इकाइयों को 20.27 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये हैं। संवितरणों की राशि 6.42 बिलियन रुपये है।

उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन अट्ठाईस निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 5.57 बिलियन रुपये मंजूर किये गये थे। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 3.03 बिलियन रुपये है।

चौबीस कंपनियों को कुल मिलाकर 6.33 बिलियन रुपये की दीर्घ अवधि कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये हैं। उक्त कंपनियों को किये गये संवितरणों की राशि 4.99 बिलियन रुपये है।

बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्यात उन्मुख इकाइयों के अंतर्गत वस्त्र, औषधियाँ, रसायन, इंजीनियरी माल, धातु और धातु प्रसंस्करण, उपभोक्ता वस्तुएँ, कागज़,

प्लास्टिक और पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर, ऑटो अनुषंगी, नौवहन, बिजली तथा औद्योगिक उपकरण और कृषि आधारित उत्पाद जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी शामिल है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वस्त्र और पटसन (जूट) उद्योग की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन प्राथमिक उधारदात्री संस्था के रूप में अट्ठाईस कंपनियों को कुल मिलाकर 10.14 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं । संवितरणों की कुल राशि 3.23 बिलियन रुपये है । टी यू एफ एस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक उसके अंतर्गत संचयी मंजूरियाँ 117 परियोजनाओं के लिए 24.39 बिलियन रुपये की रहीं । संचयी संवितरण 9.94 बिलियन रुपये के थे । वर्ष के दौरान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने एक्ज़िम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय संस्था के रूप में नामित किया है।

एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना निर्यात संविदाएं
(निष्पादन अधीन)

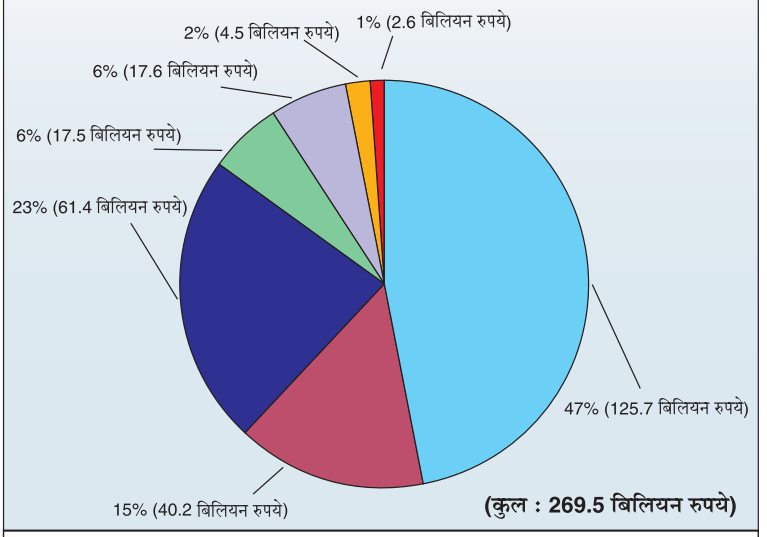

टिप्पणी : 31 मार्च 2006 को 269.5 बिलियन रुपये मूल्य की 175 परियोजना निर्यात संविदाएं, 42 भारतीय कंपनियों द्वारा एक्ज़िम बैंक की सहायता से 39 देशों में निष्पादन अधीन थीं। इनमें निर्माण, टर्नकी और परामर्शी संविदाएं शमिल हैं।

'एडवेंटा सेमिलास' , अर्जेंटीना - सनफ्लावर, कॉर्न, सोरघम आदि के संकर बीजों के उत्पादन में लगी एक कंपनी की विनिर्माण इकाई । एक्ज़िम बैंक की सहायता से मुंबई स्थित कंपनी यूनाइटेड फॉस्फोरस ने एडवेंटा का अर्जन किया है। एडवेंटा की अर्जेंटीना के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और थाइलैंड में भी ऐसी विनिर्माण इकाइयां हैं।

समुद्रपारीय निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियाँ और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास एक व्यापक कार्यक्रम है। कुछ चुनिंदा मामलों में बैंक भारतीय प्रवर्तक के साथ ईक्विटी लेता है । वर्ष के दौरान इक्कीस कंपनियों को तेरह देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 11.32 बिलियन रुपये की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक ऑस्ट्रिया, केनेडा, आयरलैंड, इटली, मॉरिशस, मोरक्को, नीदरलैंड, रोमानिया, सिंगापोर, श्री लंका, और यू एस सहित 45 देशों में 120 से अधिक

कंपनियों द्वारा स्थापित 144 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है। समुद्रपारीय निवेश के लिए प्रदान की गई सहायता की कुल राशि 30.20 बिलियन रुपये है जिसमें औषधि, रसायन एवं रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी माल, धातु एवं धातु प्रसंस्करण तथा कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषित समुद्रपारीय निवेशों में शामिल हैं; जिलेटिन के विनिर्माण में लगी ताइवानी कंपनी का अर्जन; रोमानिया में सोडा ऐश सुविधाओं का अर्जन; यू के में एक बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी का अर्जन; यू के में वस्त्रों तथा होम टेक्सटाइल की बिक्री करने वाले रिटेल स्टोर्स की शृंखला रखनेवाली एक कंपनी का अर्जन; ऑस्ट्रेलिया, थाइलैंड तथा अर्जेंटीना में विनिर्माण सुविधाओं से युक्त, बीज़ का उत्पादन करने में लगी कृषि क्षेत्र की एक कंपनी का अर्जन; मुद्रित सर्किट बोर्ड का विनिर्माण करने के लिए चीन में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना; यू एस में कांच के पात्र का विनिर्माण करने की सुविधा का अर्जन; यू एस में एक औषधि स्टोर्स शृंखला का अर्जन; यू एस में भौगोलिक-आकाशीय मानचित्रण सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी का अर्जन; यू एस में एक बी पी ओ सेवा प्रदाता का अर्जन। इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक ने रोमानिया में सोडा ऐश व्यवसाय, यू ए ई में टर्नकी परियोजना निर्यातक कंपनी के अर्जन सहित भारतीय कंपनियों के समुद्रपारीय उद्यमों में प्रत्यक्ष ईक्विटी हिस्सा भी लिया है। समुद्रपारीय उद्यमों के लिए अनुमोदित ईक्विटी निवेश कुल 710 मिलियन रुपये के थे ।

आयात के लिए वित्त

वर्ष के दौरान, बैंक ने कच्चे माल तथा पूंजी माल के आयात के लिए क्रमश: कुल 3.41 बिलियन रुपये तथा 9.39 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किए। इस अवधि के दौरान संवितरण कच्चे माल तथा पूंजीगत माल के आयात के लिए क्रमश: 3.45 बिलियन रुपये तथा 3.60 बिलियन रुपये के रहे ।

उराऊ, केरल में एक अलाभकारी ट्रस्ट है जो ग्रामीण भारत में बांस आधारित हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में आदिवासी समुदाय सहित कमज़ोर सामाजिक वर्गों की ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोज़गार के अवसर सृजित करने में लगा है। एक्ज़िम बैंक ने उच्च स्तर के बांस उत्पाद विकसित करने में उराऊ की सहायता करने, उसके उत्पादों को वैश्विक बाज़ार तक पहुंचाने और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

ऋण निगरानी समूह

एक सुस्थापित ऋण निगरानी वसूली नीति के साथ बैंक के भीतर एक ऋण निगरानी समूह कार्यरत है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की प्रणाली और विधिवत गठित समिति द्वारा कमज़ोर (स्ट्रेस) आस्तियों की मासिक समीक्षा के साथ ऋण खातों के ए बी सी वर्गीकरण की एक प्रणाली के माध्यम से मानक आस्तियों के अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाये जाते हैं । एकबारीय निपटान (ओ टी एस) प्रस्तावों की जाँच करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जाँच समिति का गठन किया गया है। यह समिति बोर्ड द्वारा विचार के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है ।

III. संयुक्त उद्यम

ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि. (जी टी एफ), एक संयुक्त उद्यम, जिसके शेयरधारकों में एक्ज़िम बैंक; एफ आइ एम बैंक, माल्टा; अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंग्टन और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र शामिल हैं, ने 2005-06 के दौरान 28 बिलियन रुपये का टर्नओवर तथा 133 मिलियन रुपये का निवल लाभ दर्ज किया है। जी टी एफ 180 दिन तक की

अवधि के लिए विभिन्न प्रकार का प्राप्य वित्तपोषण प्रदान करता है। जी टी एफ ऋण सुरक्षा के साथ निर्यात तथा देशी प्राप्य राशियों के लिए फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, जी टी एफ ने भारत में पहली बार आयात फैक्टरिंग सेवा शुरू की है। जी टी एफ के कार्यकलापों का फ़ोकस लघु एवं मध्यम आकार की भारतीय फर्मों के लिए बाज़ार संचालित निर्यात वित्तपोषण समाधान पर है।

बैंक के अन्य संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालन का एक और वर्ष पूरा किया है। कंपनी ने 14 मिलियन रुपये के कर पूर्व लाभ के साथ 2005-06 में 31 मिलियन रुपये की परामर्शी आय दर्ज की है। जी पी सी एल ने ईरान में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना के लिए प्रापण सलाह और अज़रबैजान तथा माल्डोवा में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित स्वतंत्र प्रापण समीक्षा नियत-कार्य सहित कई नियत-कार्य प्राप्त किये हैं। जी पी सी एल को गयाना, यूगांडा की सरकारों तथा यू के के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आइ डी) से भी नियत-कार्य प्राप्त हुए हैं। जी पी सी एल, एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखनेवाली 13 प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण संबंधी सलाहकारी तथा लेखा-परीक्षा सेवाएं प्रदान करता है। जी पी सी एल ने एशिया, अफ्रीका, सी आइ एस तथा लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में 25 से अधिक देशों में परामर्शी नियत -कार्य निष्पादित किये हैं।

एक्ज़िम बैंक, डिवेलपमेंट बैंक ऑफ़ ज़ाम्बिया, वेस्ट अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक, अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक और एग्रीकल्चरल फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. में भी ईक्विटी हिस्सा धारित करता है।

सुभीक्षा आयुर्वेदिक्स, कोयम्बतूर में स्थित फर्म, हाथ से बनाई गई सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करती है । इसके 'स्वाम्य' फ्लेवर फार्मूलेशन 'अग्नि' ब्रांड के अंतर्गत तैयार तथा विपणित किए जाते हैं । एक्ज़िम बैंक अपने समुद्रपारीय नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार उपस्थिति अर्जित करने में सुभीक्षा की सहायता करने के अलावा ब्राज़ील तथा इस्राइल को उनके निर्यातों में सहायता देने के लिए वित्त भी प्रदान कर रहा है।

IV. नई पहलें

गांवों में ग्रासरूट स्तर पर व्यावसायिक पहलें

एक्ज़िम बैंक ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करता है। बैंक उपयुक्त उत्पादों की पहचान करने तथा उत्पादन इकाइयों का क्लस्टर बनाने के लिए कई गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) तथा स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) के साथ कार्य करता है।

ग्रामीण भारत से उत्पादों को समर्थन देने के अपने प्रयास में, बैंक ने सहयोग-ज्ञापनों के माध्यम से चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्यकारी साझेदारी स्थापित की है। बैंक ने धन फाउंडेशन मदुरै, क्षमता निर्माण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यरत एक व्यावसायिक विकास संगठन; बेसिक्स, हैदराबाद, भारत में एक विशिष्ट व्यष्टि वित्त संस्था; उराऊ, बांस आधारित ग्रामीण उत्पादों के विकास में लगा, वेनाड, केरल में स्थित एक न्यास तथा केयर-इंडिया, भारत में गरीबी को दूर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विकासात्मक तथा मानवतावादी संगठन; के साथ कार्यकारी साझेदारी संबंध स्थापित किये हैं। सहयोग करारों का लक्ष्य-सहयोग ज्ञापन साझेदारों तथा उनके सहयोगियों द्वारा बनाये गए उत्पादों के लिए निर्यातों का संवर्धन करना है। बैंक ने पी एन जी माइक्रो फाइनैन्स लि. (पी एम एल) पापुआ न्यू गीनिया में उसके ईक्विटी

निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए भी बेसिक्स की सहायता की है। बेसिक्स राजस्थान सरकार तथा यू एन डी पी के सहयोग से, लावन, डौसा में पत्थर पर नक्कासी तथा दारी क्लस्टर और बसावा में पॉटरी क्लस्टर सहित राजस्थान में निर्यात क्लस्टरों के विकास में लगा है।

एक्ज़िम बैंक ने विभिन्न गैर-सरकारी संगठन तथा भारतीय कंपनियों के बीच व्यावसायिक परिचालनों के समन्वय में भी पहल की है। बैंक उराऊ, केरल की सदस्य इकाइयों द्वारा तैयार किए गए बांस उत्पादों के निर्यात के लिए उराऊ द्वारा प्रवर्तित एक विपणन संगठन में ईक्विटी हिस्सा भी ले रहा है। एक्ज़िम बैंक ने फुलिया, पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादों के विदेशों में विपणन के लिए उनके साथ बातचीत भी शुरू की है। बुनकर सहकारी समिति, पश्चिम बंगाल सरकार तथा एक्ज़िम बैंक द्वारा ईक्विटी सहभागिता से एक विपणन कंपनी के गठन पर बातचीत चल रही है जो उत्पादों का विपणन करेगी। इसके अलावा, बैंक ने बिहार से मधुबनी पेंटिंग के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अलाभकारी संगठनों के साथ बातचीत शुरू की है।

यथा 31 मार्च 2006 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएं
(मिलियन यू एस डॉलर)

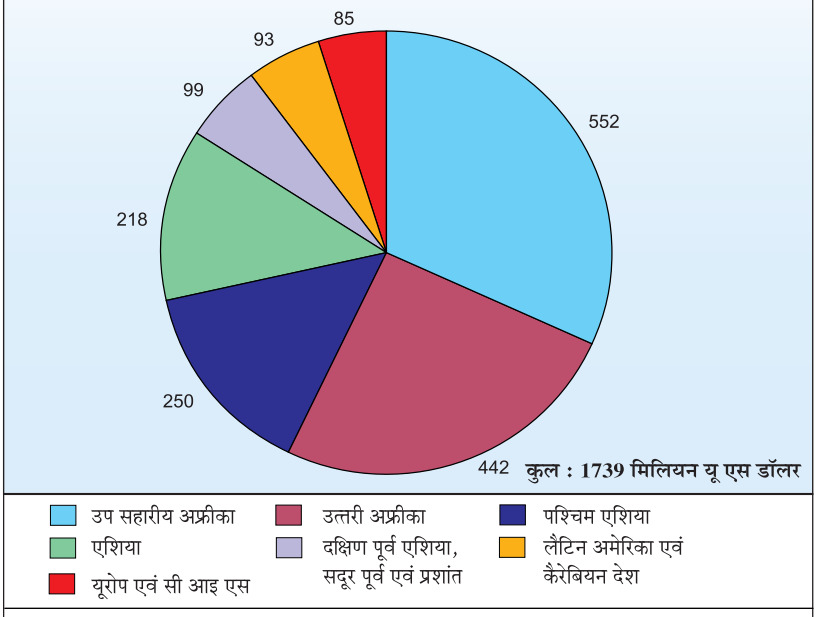

टिप्पणी : 31 मार्च 2006 को कुल 1739 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण वचनबद्धता के साथ अठहत्तर देशों में उनसठ ऋण-व्यवस्थाएं उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

एस एम ई प्रतिस्पर्धात्मकता विकास कार्यक्रमों की एक शृंखला के आयोजन में बैंक ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, लंदन और लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सक्रिय सहयोग किया है। श्री महावीर प्रसाद, माननीय केन्द्रीय लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ''भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों का निर्यात निष्पादन '' पर एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन किया गया ।

फार्मास्युटिकल / बायोफार्मा उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा नये उत्पाद के विकास का वित्तपोषण

भारतीय औषधि क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर लगातार विशेष ध्यान दे रहा है। संविदा अनुसंधान तथा विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास आउटसोर्सिंग के क्षेत्रों में अवसर उभरकर आए हैं। भारतीय फार्मास्युटिकल तथा बायोफार्मा कंपनियां नई औषधि वितरण प्रणाली, जिसके लिए विनियमित बाज़ारों में पेटेंट फाइल किया जाना है, से उत्पादों

सहित अनुसंधान एवं विकास में भी निवेश कर रही हैं। निहित उच्च अनुसंधान एवं विकास लागतों तथा लंबी अवधि के लिए अपेक्षित निवेश को देखते हुए, फार्मास्युटिकल / बायोफार्मा / कंपनियों द्वारा लंबी स्थगन अवधि के साथ बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक्ज़िम बैंक ने नियंत्रित फार्मास्युटिकल बाज़ारों में अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास व्यय को आसान बनाने के लिए फार्मास्युटिकल/बायोफार्मा कंपनियों के लिए एक संरचित उत्पाद शुरू किया है । एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण या तो सावधि ऋण/ईक्विटी सहभागिता या संमिश्र उत्पाद के रूप में होगा । बैंक को प्रतिफल एकमुश्त भुगतान के समय प्रदत्त प्रीमियम के रूप में या वाणिज्यिकीकृत/ गैर-वाणिज्यिकीकृत नियामक अनुमोदनों/ आइ पी आर से रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होगा।

विदेशों में प्राकृतिक संसाधनों का विकास

विदेशों में प्राकृतिक संसाधनों के विकास में सहभागी होने के लिए भारतीय कंपनियों में एक वृद्धिशील प्रवृत्ति है। एक्ज़िम बैंक अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग कर और समूहन तथा इसी प्रकार की व्यवस्थाओं द्वारा रणनीतिक समर्थन के उपाय के रूप में इन प्रयासों में भारतीय कंपनियों को चयनात्मक रूप में सहायता प्रदान करता है।

समग्र-एशिया परियोजना विकास निधि

बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि.तथा ओरिक्स कॉरपोरेशन, जापान द्वारा प्रायोजित समग्र एशिया परियोजना विकास निधि (पी पी डी एफ) में 10 मिलियन यू एस डॉलर की राशि का निवेश करने की प्रक्रिया में है। इसका उद्देश्य परियोजना निष्पादन क्षमता रखने वाली भारतीय कंपनियों को बीज पूंजी प्रदान कर एशिया भर में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में उनकी सहभागिता को उत्प्रेरित करना है। इसमें सम्मिलित किये जाने वाले देशों में (भारत के अलावा) कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, श्री लंका, थाइलैंड तथा वियतनाम शामिल हैं। एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों को निधिक तथा गैर-निधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर इन परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरित करेगा और इस प्रकार भारत का परियोजना निर्यात बढ़ेगा।

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु नार्थ ईस्ट ऑन्को केयर प्रा. लि., गुवाहाटी के नगरोपान्त में 100 बिस्तरों वाले एक अत्याधुनिक कैंसर स्पेशियालिटी अस्पताल की स्थापना कर रही है। इस अस्पताल को विदेशों से अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त करने हेतु एक्ज़िम बैंक द्वारा अपने आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने समुराई बांड निर्गम के जरिए 23 बिलियन जापानी येन की राशि जुटाकर जापानी बाज़ार में कदम रखा । यह पिछले 15 वर्षों में भारत से ऐसा पहला निर्गम है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लि. (जे सी आर ए) ने एक्ज़िम बैंक को उसके दीर्घावधि ऋण के लिए 'बी बी बी' रेटिंग (अर्थात संप्रभु के समान) प्रदान की है । यह रेटिंग जे सी आर ए द्वारा दी गई न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग से एक स्तर ऊपर है। एक्ज़िम बैंक को मूडीज़ (बी ए ए 3, निवेश ग्रेड, स्थिर संभावना), एस एंड पी (बी बी +,

सकारात्मक संभावना) तथा फिच (बी बी +, स्थाई संभावना) की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग भी प्राप्त है जो संप्रभु रेटिंग के समतुल्य हैं।

तिमाही प्रकाशन : इंडिया - चाइना न्यूज़लेटर

बैंक ने ''इंडिया-चाइना न्यूज़लेटर'', एक तिमाही द्विभाषी (अंग्रेजी तथा चीनी) समाचार पत्र, शीर्षक से एक नया प्रकाशन शुरू किया है जो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों से संबंधित मुद्दों पर फ़ोकस करता है। यह 'इंडो अफ्रीकन बिज़नेस' (जो भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश पर फ़ोकस करता है), 'इंडो लैक-बिज़नेस' (जिसमें लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र को शामिल किया जाता है) तथा 'इंडो-सी आइ एस बिज़नेस' (जिसमें सी आइ एस देशों को शामिल किया जाता है) शीर्षक से प्रकाशित की जा रही द्विभाषी तिमाही पत्रिकाओं की शृंखला में एक नई कड़ी है।सभी प्रकाशनों को ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद मिला है।

V. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

31 मार्च 2006 को 9.50 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी तथा 17.70 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन 187.29 बिलियन रुपये के थे। बैंक के संसाधन आधार में बांड, जमा - प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, सावधि ऋण और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ / उधार राशियाँ / दीर्घावधि स्वैप्स शामिल हैं । वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 78.86 बिलियन रुपये की विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियाँ जुटायीं, जिनमें 43.84 बिलियन रुपये के रुपया संसाधन और 785 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। यथा 31 मार्च 2006 को बाज़ार से उधार राशियाँ कुल संसाधनों का 80 प्रतिशत रहीं। वर्ष के दौरान, बैंक को भारत सरकार से 1 बिलियन रुपये की शेयर पूंजी प्राप्त हुई जिसके परिणामस्वरूप बैंक की चुकता पूंजी 31 मार्च 2006 को बढ़कर 9.50 बिलियन रुपये हो गयी । वर्ष के दौरान जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में समुराई बांड निर्गम (विदेशी निर्गमकर्ताओं द्वारा देशी जापानी बाज़ार में जारी बांड), जो पिछले 15 वर्षों में भारत से ऐसा पहला निर्गम है, के जरिए 23 बिलियन जापानी येन शामिल हैं । 590 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन द्विपक्षीय / क्लब ऋणों के माध्यम से जुटाए गए । 31 मार्च 2006 को बैंक के पास 1.87 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन का भंडार था ।

बैंक के ऋण लिखतों को संबंधित रेटिंग एजेंसियों, क्रिसिल तथा इक्रा से उच्चतम रेटिंग अर्थात् 'ए ए ए' रेटिंग प्राप्त है । 31 मार्च 2006 को बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया उधार राशियाँ 118.25 बिलियन रुपये की थीं।

बैंक ने अगस्त 2005 में जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) से ''बी बी बी'' रेटिंग प्राप्त की जो निवेश ग्रेड की रेटिंग से एक स्तर ऊपर है। बैंक को मूडीज (बी ए ए 3, निवेश ग्रेड, स्थिर संभावना), फिच (बी बी +, स्थिर संभावना) एस एण्ड पी (बी बी +, सकारात्मक संभावना), संप्रभु

अफ्रीकी विकास बैंक के साथ बैंक के घनिष्ठ कार्यकारी संबंध हैं। अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भारतीय कंपनियों को उपलब्ध अवसरों पर नई दिल्ली तथा पुणे में सेमिनार आयोजित किए गए । नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपना विचार प्रकट करते हुए अफ्रीकी विकास बैंक में भारत के लिए कार्यपालक निदेशक, सुश्री औद मैरिट विग ।

रेटिंग के समतुल्य की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग भी प्राप्त है।

आय / व्यय

2005-06 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 3.77 बिलियन रुपये और 2.71 बिलियन रुपये रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 3.14 बिलियन रुपये और 2.58 बिलियन रुपये थे । ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2004-05 के 7.44 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान 10.36 बिलियन रुपये रही। निवेश आय, बैंक जमाराशियों आदि पर ब्याज आय 2004-05 के 3.79 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2005-06 में 4.22 बिलियन रुपये रही। वर्ष 2005-06 में ब्याज व्यय 10.28 बिलियन रुपये था जो ऋण की अधिकता के कारण 2.86 बिलियन रुपये से उच्चतर है । गैर ब्याज खर्च 2004-05 के 8.21 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 के दौरान कुल व्यय का 4.83 प्रतिशत था। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) 31 मार्च 2005 के 5.68 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 6.25 प्रतिशत हो गयी, ऐसा बाज़ार में ब्याज दरों में वृद्धि के कारण हुआ।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च 2005 के 21.58 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2006 को 18.42 प्रतिशत रहा जो वर्ष के दौरान व्यवसाय में पर्याप्त विस्तार के कारण है और यह अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत न्यूनतम 9 प्रतिशत से अब भी काफी अधिक है। 31 मार्च 2006 को ऋण-ईक्विटी अनुपात 5.68:1 रहा जबकि 31 मार्च 2005 को यह 4.56:1 था ।

यथा 31 मार्च 2006 को ऋणों का क्षेत्रवार वितरण

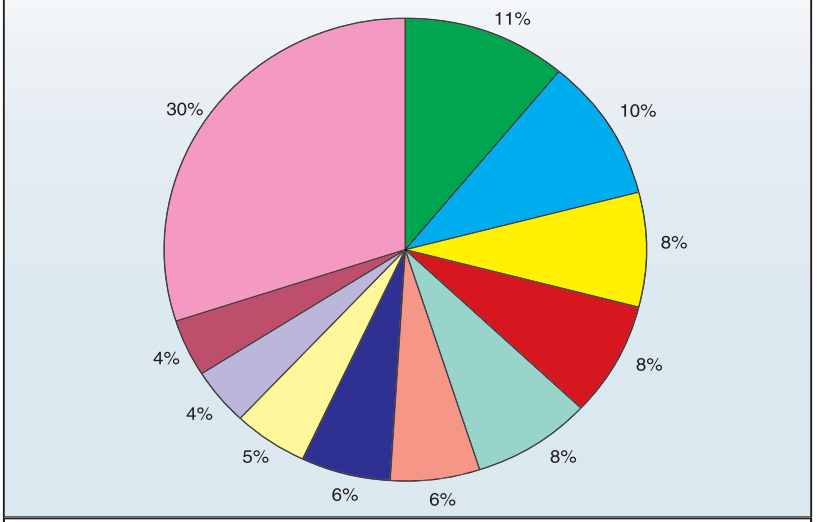

टिप्पणी : 'अन्य' में वित्तीय सेवाएं, ऑटो और ऑटो अनुषंगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुनियादी क्षेत्र, प्लास्टिक और पैकेजिंग, कागज, नौवहन, उपभोक्ता वस्तुएं, पटसन, सिरेमिक्स और रत्न एवं आभूषण शामिल हैं।

ऋण सहायता (एक्सपोजर) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च 2002 से एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की ऋण सहायता सीमा निर्धारित की है । बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में पाँच प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता (अर्थात एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों के 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूँजी निधियों के 45 प्रतिशत तक कुल ऋण सहायता) दी जा सकती है। वैयक्तिक उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों की ऋण सहायता सीमा को क्रमश: अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत तक) क्रमश: (20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत अधिकतम सीमाओं के अतिरिक्त), बढ़ाया जा सकता है बशर्ते अतिरिक्त ऋण सहायता बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो।

31 मार्च 2006 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी निधियों की सीमा के भीतर थी । भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए आंतरिक सीमाएं तय करें ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो । बैंक के लिए उद्योग सहायता सीमाएं कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत हैं, सिवाय वस्त्र उद्योग के मामले में जहाँ यह 20 प्रतिशत है । 31 मार्च 2006 को किसी एकल उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 11 प्रतिशत से अधिक नहीं थी ।

राजकोष (ट्रेज़री)

बैंक का एकीकृत राजकोष अधिशेष निधियों के निवेश, मुद्रा बाज़ार परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग सहित निधि प्रबंधन कार्य देखता है। बैंक ने फ्रंट/मिडल/ बैक ऑफिस कार्यों को पृथक किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक के राजकोष द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विदेशी मुद्रा सौदे, निर्यात दस्तावज़ों की वसूली / परक्रामण, अंतरदेशीय विदेशी साख पत्र, साख पत्र / गारंटियाँ जारी करना, संरचित ऋण आदि शामिल हैं । बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आइ डी आर बी टी), प्रमाणक प्राधिकारी से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है। बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित लेन-देन प्रणाली - आदेश मिलान खंड (एन डी एस - ओ एम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं । बैंक सी सी एल के संपार्श्विकीकृत उधार लेने और उधार देने संबंधित दायित्व खंड सी बी एल ओ का भी एक सक्रिय सदस्य है ।

लाभ और लाभांश की प्रवृत्तियाँ

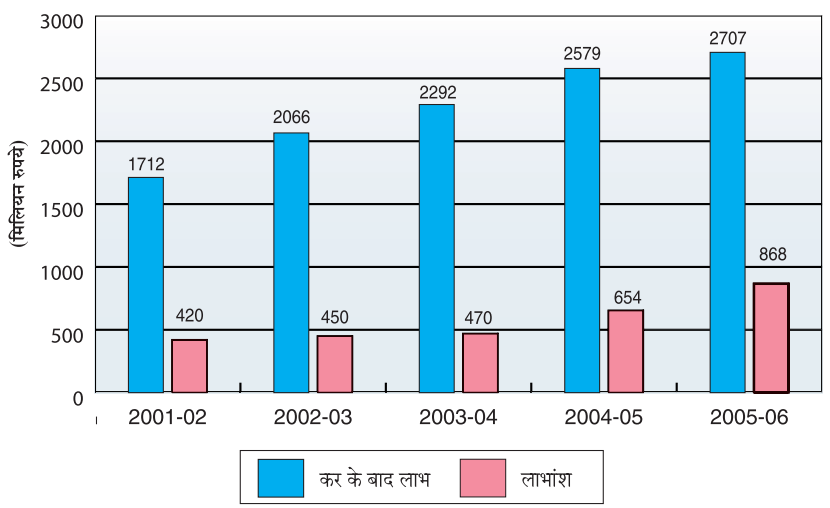

आस्ति-देयता प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की भूमिका को बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन नीति / चलनिधि नीतियों के अनुसार चलनिधि/ब्याज दर जोखिमों से सबंधित व्यापक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के लिए पुन: परिभाषित किया गया है। एल्को की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक/बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक चल निधि तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और अवधि - अंतराल विश्लेषण का प्रयोग करते हुए ब्याज दर, घट बढ़ की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के आकलन के माध्यम से आंकी गई ब्याज दर जोखिम की मात्रा के आधार पर कार्रवाई करना शामिल है। जोखिम पर मूल्य की गणना भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए की गई है । वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान, बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के

प्रारंभ में अनुमोदित संसाधन योजना के अनुसार निवेशों/विनिवेशों पर निर्णय लेने और उधार राशियाँ /संसाधन जुटाने के लिए एक अलग निधि प्रबंधन समिति गठित की गई है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति/निधि प्रबंधन समिति के कार्य की समीक्षा करती है और निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति भी आस्ति देयता प्रबंधन समिति / निधि प्रबंधन समिति के कार्यों का निरीक्षण करती है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आइ आर एम सी) का गठन किया है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है । एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, चलनिधि, ब्याज दर, तुलन पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों एवं उनसे संबंधित विनियामक तथा अनुपालन मुद्दों के संबंध में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है । एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निधि प्रबंधन समिति तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति के परिचालनों का निरीक्षण करती है जिनमें से दोनों के परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं। जबकि आस्ति देयता प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाज़ार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ऋण नीति और प्रक्रियाओं को देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का नियंत्रण करती है । वर्ष के दौरान बैंक ने जोखिम प्रबंधन ढांचे की एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा करने के लिए एक परामर्शी फर्म की सेवाएं ली हैं। लेखा परीक्षा कार्य में बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे को प्रभावशाली पाया गया और उसमें सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी की गईं । इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक ने एक व्यावसायिक निरंतरता तथा डिज़ास्टर रिकवरी योजना शुरू की है जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

स्थानीय शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हैंडीक्राफ्ट एवं ग्रामीण उत्पादों की एक प्रदर्शनी ''इम्पावरिंग इंडिया : इन्फो एक्सपो - कराईकुडी'' में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम एक्ज़िम बैंक के स्टॉल पर। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में मौ़जूदा तथा संभाव्य उद्यमियों, राज्य सरकार के अधिकारियों गैर सरकारी संगठनों, प्रौद्योगिकीविदों तथा शोधकर्ताओं और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया ।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण/कर्ज़ सुविधा को गैर निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है । बैंक की गैर निष्पादक आस्तियाँ (प्रावधान घटाकर) 31 मार्च 2005 के 0.85 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2006 को इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.59 प्रतिशत रही हैं।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और / अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्तियां 12 माह से अधिक अवधि से गैर निष्पादक संपत्ति के रूप में होती हैं, ऐसी आस्तियों को ''संदिग्ध आस्तियों''के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ''हानि आस्तियाँ'' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं । यथा 31 मार्च 2006 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 0.59 प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर निष्पादित आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.59 प्रतिशत रहीं जबकि संदिग्ध और हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की

देख-रेख निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है । इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं । बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशालिता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे।

VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं । ये सेवाएं भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं । इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में ही संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं । उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में सी एन सी (कम्प्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड) पुर्जों तथा उपकरणों के आयातकों पर जानकारी; एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रमुख विश्व निर्यातकों तथा आयातकों के बारे में जानकारी और एल्यूमिना कैल्सिनेड के भारतीय निर्यात/ आयात पर आंकड़े निर्यातकों को दिए गए । बैंक ने बैंकॉक, थाइलैंड में एशिया के क्रेता-विक्रेता तथा नेटवर्किंग सम्मेलन पर एक कार्यक्रम हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आइ टी सी), जिनेवा के लिए भारतीय खाद्य क्षेत्र पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

डकार, सेनेगल की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करती टाटा की बसें। 350 टाटा बसों के निर्यात का वित्तपोषण एक्ज़िम बैंक द्वारा सेनेगल सरकार को प्रदान की गई ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। यह ऋण-व्यवस्था भारत सरकार की अफ्रीकी विकास हेतु नई साझेदारी (नेपाड) के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय निर्यातक कंपनियों में समुद्रपारीय व्यवसाय के असंख्य अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात विपणन सेवा

बैंक ने अपनी निर्यात विपणन सेवाओं के जरिए कई भारतीय कंपनियों को विदेशों में अपने उत्पादों को प्रतिष्ठित करने और नये बाज़ारों में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की है जिसमें कंपनियों को भावी व्यावसायिक साझेदार की पहचान से लेकर अंतिम आर्डर देने के कार्य को सुगम बनाने तक मार्गदर्शन दिया गया ।

बैंक ने मध्यम आकार की एक भारतीय फर्म की ओर से प्राकृतिक पत्थर के उत्पादों के लिए प्रतिष्ठित हंगेरियन कंपनियों से पक्के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। एक हंगेरियन आयातक को ग्रे सामग्री तथा प्रिंटेड फैब्रिक के निर्यात

के लिए बातचीत चल रही है। ऑस्ट्रिया की एक कंपनी, एक भारतीय निर्माता / निर्यातक से पॉलीप्रापिलीन की थैलियों के आयात की संभावना पर विचार कर रही है। पारंपरिक उपहार वस्तुओं तथा अगरबत्तियों के निर्यात के लिए यू एस ए तथा यू के से शीघ्र ही ऑर्डर मिलने की आशा है। बैंक के सुगमीकरण के माध्यम से उन आइ टी कंपनियों के एक चुनिंदा समूह के लिए बातचीत चल रही है जो विशेषकर केनियन बाज़ार और सामान्य रूप में अफ्रीकी बाज़ार में अपनी आइ टी और आइ टी ई एस उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन की संभावनाओं का पता लगा रही हैं । ग्रामीण तथा ग्रास रूट उद्यमों को विदेशी बाज़ारों तक पहुंचने में सहायता करने की अपनी पहल के एक हिस्से के रूप में बैंक ने यू के को बांस की कलमों और सिंगापोर को अगरबत्तियों के निर्यात के लिए एक गैर-सरकारी संगठन के लिए ऑर्डर प्राप्त किए हैं ।

एक परामर्शदाता के रूप में बैंक

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के रूप में बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है । बैंक, परामर्शी कार्यों को हाथ में लेकर अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर रहा है।

बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे द्वारा ज़िम्बाब्वे में एक निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिए ज़िम्बाब्वे में एक आधार ढांचे के सृजन में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया । बैंक ने ज़िम्बाब्वे में एक्ज़िम बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों के एक सेट के साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया । बैंक की सिफारिशों को काफी अच्छा माना गया और वे कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। विगत समय में, बैंक ने ज़िम्बाब्वे में एक निर्यात ऋण गारंटी निगम कंपनी की स्थापना में सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे को परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं।

कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ने बैंक को चुनिंदा कृषि तथा खाद्य उत्पादों पर फ़ोकस करते हुए निर्यात ऋण/ ऋण गारंटी तथा बीमा कार्यक्रम पर एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। अध्ययन का लक्ष्य भारत में पहचाने गये कृषि उत्पादों के निर्यातकों को उपलब्ध निर्यात ऋण/गारंटी सुविधाओं, कार्यक्रमों, लिखतों की यू एस ए, केनेडा, यूरोपीय संघ, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया की सुविधाओं की तुलना करना है। अध्ययन का उद्देश्य ऐसे उपाय भी सुझाना है जिनके द्वारा भारत में कार्यक्रम अधिक अनुकूल हो सकें ।

सेमिनार तथा कार्यशालाएं

बैंक ने अपने ग्राहकों को विभिन्न घटनाक्रमों से अवगत कराने और व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक सुगमकारी वातावरण सृजित करने के लिए कई संकेन्द्रित सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में भारत-अफ्रीका सम्मेलन (पश्चिम अफ्रीका पर विशेष फ़ोकस के साथ) का आयोजन था । राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से चेन्नै तथा नई दिल्ली में लघु व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मकता विकास पर सम्मेलन आयोजित किए गए ।

एक्ज़िमिअस ज्ञान केंद्र

वर्ष के दौरान एक्ज़िमिअस ज्ञान केंद्र ने 31 कार्यक्रम आयोजित किए इनमें हांग कांग, ऑस्ट्रेलिया तथा सी आइ एस क्षेत्र को शामिल करते हुए चार देश / क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक अवसर सेमिनार शामिल थे। एशिया विकास बैंक तथा परामर्शी विकास केंद्र, नई दिल्ली के सहयोग से हैदराबाद और चेन्नै में देशी परामर्शी सेवाओं के विकास पर सेमिनार आयोजित किए गए । एशियाई विकास बैंक के सहयोग से नई दिल्ली तथा हैदराबाद में 'एशियाई विकास निधिक परियोजनाओं में व्यावसायिक अवसर' पर सेमिनार आयोजित किए गए ।

विश्व बैंक समूह की बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के सहयोग से मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलोर तथा चेन्नै में 'मिगा के साथ समुद्रपारीय निवेश अवसर' पर गोलमेज बैठकों की एक शृंखला आयोजित की गई । केंद्र ने विकासशील देशों से आयात के संवर्धन हेतु केन्द्र, नीदरलैंड के सहयोग से दो कार्यशालाएं तथा एक परस्पर चर्चा सत्र आयोजित किए । हैदराबाद, मुंबई तथा नई दिल्ली में 'अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं एवं संविदाएं' विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 'यूरोप को हस्तशिल्प तथा सजावटी वस्तुओं का

विपणन' विषय पर एक अन्य कार्यशाला जयपुर, नई दिल्ली तथा शिलांग में आयोजित की गई। 'यूरोपीय संघ को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात हेतु अवसर' पर एक परस्पर चर्चा सत्र बैंगलोर में आयोजित किया गया। नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एण्ड ट्रेनिंग द्वारा समन्वित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ भी एक परस्पर चर्चा सत्र आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त केंद्र ने निर्यात, आयात, सीमाशुल्क, भूमंडलीकरण और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का प्रबंध; खाद्य, पर्सनल केअर, फार्मास्यूटिकल तथा न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की परिपूर्ण पैकिंग; खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए गुणवत्ता मानक; उद्यमिता विकास; कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए गुणवत्ता मानक तथा प्रमाणन; कृषि/खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए गुणवत्ता मानक एवं प्रमाणन; निर्यात प्रक्रियाएं तथा दस्तावेज़ीकरण; प्रभावी संप्रेषण और बहु सांस्कृतिक सामंजस्य दक्षता तथा बांस उत्पादों की पैकेजिंग तथा गुणवत्ता मानकों में सुधार जैसे विषयों पर सेमिनार / कार्यशालाएं आयोजित कीं।

समुद्रपारीय व्यापार मेलों में सहभागिता

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से, बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जोहॉनिस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 'मेड इन इंडिया शो' में भाग लिया और अपने उत्पादों तथा सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई। बैंक ने वारसा, पोलैंड में इंडो - पोलिश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा आयोजित 'इंडिया एनिशिएटिव 2005' में भी भाग लिया।

VII. संस्थागत संबंद्धताएं

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करने में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों तथा निवेश संवर्धन बोर्डों के साथ गठबंधन तथा संस्थागत संबंध का एक नेटवर्क विकसित किया है।

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने दक्षिण-दक्षिण व्यापार को बढ़ावा देने में सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए व्यापार तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के साथ एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री सुपाचाई पैनिचपाकड़ी, महासचिव, अंकटाड ने अंकटाड की ओर से सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बैंक ने नैशनल बैंक फॉर फॉरेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उज़्बेकिस्तान तथा इंस्टिट्यूटो डि क्रेडिटो ऑफिशियल, स्पेन के साथ सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ यू एस ए तथा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ नाइजीरिया के साथ भी सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने बांको नैशनल डी कामर्शिओ एक्सटेरियर, मेक्सिको के साथ भी अपने सहयोग-ज्ञापन को आगे बढ़ाया है।

सहयोग को बढ़ावा देने और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एस एम ई बैंक ऑफ़ श्री लंका, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ़ सूडान, कैरेबियन असोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्री एण्ड कॉमर्स, सर्बियन इनवेस्टमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी और बांक डी फाइनैन्समेंट डिस पेटाइटस इट मोइनिस एंटरप्राइजेज, ट्यूनेशिया, के साथ सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग-ज्ञापन एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ाने के प्रयास करते हैं और ये भारत में फर्मों तथा संबंधित देशों में उनकी समकक्ष फर्मों के बीच दुतरफा व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देंगे।

बैंक ने प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंकों जैसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, यूको बैंक, और यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, के साथ सहयोग-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोग-ज्ञापनों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों के बीच सहयोग तथा व्यवसायिक संबंध को बढ़ावा देना है जिसमें भारत से निर्यात किए जाने वाली माल तथा सेवाओं के लिए सह-वित्तपोषण सहायता प्रदान करना शामिल है।

बैंक ने ग्रामीण विकासात्मक संगठनों तथा अनुसंधान केंद्रों जैसे धन फाउंडेशन, बेसिक्स, केयर - इंडिया, उराऊ देशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र और जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय के साथ भी सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एशियाई एक्ज़िम बैंक फोरम

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने 5-7 अक्तूबर 2005 के दौरान गोवा में एशियाई एक्ज़िम बैंकों के फोरम की 11वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की । बैठक की मुख्य विषय वस्तु 'व्यापार वित्तपोषण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना' थी। इस बैठक में नौ सदस्य संस्थाओं अर्थात भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, और थाइलैंड ने भाग लिया। बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्था एशियाई विकास बैंक मनीला ने एक स्थायी आमंत्रिती के रूप में भाग लिया। के एफ डब्ल्यू (जर्मनी), बी एन डी ई एस (ब्राज़ील), ओ ई सी डी (पैरिस), अंकटाड (जिनेवा) और एस एम ई बैंक तथा सेंट्रल बैंक (श्री लंका) ने प्रेक्षक के रूप में भाग लिया । इस फोरम की परिकल्पना तथा पहल भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा 1996 में की गई थी। इसका उद्देश्य सहयोग हेतु अवसर प्रदान करते हुए बातचीत की प्रक्रिया में अग्रसर होने के लिए सहभागी देशों को व्यवस्था प्रदान करना है।

फोरम ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एशियाई क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में एशियाई एक्ज़िम बैंकों द्वारा अदा की गई विशिष्ट तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया । फोरम ने लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों, जो राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, रोज़गार निर्माण, निर्यात में अपने योगदान के जरिए सशक्त भूमिका निभाते हैं, के वित्तपोषण तथा विकास में एशियाई एक्ज़िम बैंकों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया। फोरम ने एशियाई विकास बैंक के तत्वावधान में क्षेत्रीय निर्यात वित्तपोषण व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की । व्यापार तथा निवेश के बीच संबंधों पर विचार करते हुए फोरम ने दुतरफा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों को सुगम बनाने में एक्ज़िम बैंकों की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया ।

इस अवसर पर भारतीय एक्ज़िम बैंक और एक्ज़िम बैंक ऑफ़ थाइलैंड ने 50 मिलियन यू एस डॉलर के लिए एक द्विपक्षीय गारंटी सुविधा करार पर हस्ताक्षर किए । एक्ज़िम बैंक ऑफ़ थाइलैंड ने एक्ज़िम बैंक ऑफ़ मलेशिया के साथ भी एक द्विपक्षीय साख पत्र पुष्टिकरण सुविधा करार पर हस्ताक्षर किए। एक्ज़िम बैंक द्वारा विकसित एशियाई एक्ज़िम बैंकों के पोर्टल का तकनीकी प्रारंभ भी फोरम में किया गया ।

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने अक्तूबर 2005 में गोवा में एशियाई एक्ज़िम बैंकों के फोरम की 11 वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी की । फोरम में लघु एवं मध्यम उद्यमों के वित्तपोषण तथा विकास, क्षेत्रीय निर्यात वित्तपोषण व्यवस्था, दुतरफा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सुगमीकरण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में एशियाई एक्ज़िम बैंकों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड)

अंकटाड और बैंक की एक संयुक्त पहल पर, एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) की शुरुआत मार्च 2006 में जिनेवा में की गई थी । जी-नेक्ज़िड एक्ज़िम बैंक तथा विकास वित्त संस्थाओं के लिए एक साझा मंच प्रदान कर विशेषकर दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

जी-नेक्ज़िड की पहल अंकटाड XI सम्मेलन के लिए तैयारी में आयोजित बैठकों के दौरान रियो डी जेनीरो,ब्राज़ील में जून 2004 में की गई थी। इसके बाद उपस्थित पाँच एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं अर्थात भारतीय निर्यात-आयात बैंक, अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक, एंडियन डिवेलपमेंट कार्पोरेशन (वेनेज्यूएला), एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ मलेशिया तथा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ स्लोवाक रिपब्लिक द्वारा मार्च 2005 में एक सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

जी-नेक्ज़िड, सदस्यों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को संपोषित करने, अनुभवों का आदान-प्रदान करने और व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहयोगों को मज़बूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श करेगा । ऐसे सहयोग से विकासशील देशों के बीच व्यापार की लागत कम होने, सीमापार निवेश बढ़ने और नवोन्मेषी व्यवसायों के लिए आसानी से वित्तपोषण उपलब्ध होने की आशा है। इससे 'प्रमुख बाज़ारों' की वृद्धि को मज़बूती मिलेगी। नेटवर्क विकासशील देशों को नए बाज़ारों में प्रवेश, गैर-पारंपरिक माल तथा सेवाओं के वित्तपोषण और निवेशों के लिए जोखिम हिस्सेदारी पद्धतियों की स्थापना करने के लिए प्रभावी प्रणालियों का आदान-प्रदान करने की अनुमति भी देगा।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) का शुभारंभ अंकटाड के महा सचिव डॉ. सुपाचई पैनिचपाकडी की उपस्थिति में जिनेवा स्थित अंकटाड के मुख्यालय में 13 मार्च 2006 को किया गया । संयुक्त पहल पर, एक्ज़िम बैंक और अंकटाड ने व्यापार तथा पण्य वित्त के क्षेत्र में सहयोग पर एक सहमति-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

एडफिएप डिवेलपमेंट अवार्ड

एशिया तथा प्रशांत में विकास वित्तपोषण संस्थाओं का संघ (एडफिएप) डिवेलपमेंट अवार्ड ऐसी एडफिएप सदस्य संस्थाओं को सम्मानित करता है, जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है जिनसे उनके संबंधित देशों में एक विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। यह अवार्ड उन सदस्य संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय तथा नवोन्मेषी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित या प्रवर्धित किया है। बैंक को कोलंबो, श्री लंका में आयोजित 29वीं एडफिएप वार्षिक बैठक के दौरान 'ट्रेड डिवेलपमेंट अवार्ड' 2006 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को विदेशों में बाज़ार की संभावनाओं का पता लगाने में सहायता के लिए बैंक की पहल, बैंक के गहन संस्थागत तथा व्यापार संवर्धन संबंधों का प्रभावी रूप से उपयोग करने और इसके सहायता तथा वित्तपोषण कार्यक्रमों की स्वीकृति में है ।

बैंक को इसके पहले वर्ष 2002, 2004, तथा 2005 में भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्यप्रणालियों के लिए

व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया है । यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड के मॉडल पर आधारित है ।

विगत में सिर्फ चार कंपनियों अर्थात ह्यूलेट पैकर्ड इंडिया लिमिटेड (1997), मारुति उद्योग लिमिटेड (1998), टाटा स्टील (2000) तथा इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2002) को यह अवार्ड मिला है। वर्ष 2005 में यह अवार्ड टाटा मोटर्स लिमिटेड (वाणिज्यिक वाहन कारोबार इकाई) को दिया गया था । छह कंपनियों को व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी यात्रा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रशंसा की गई। इन कंपनियों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल); (हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट), हरिद्वार; भेल (उच्च दबाव बॉयलर प्लांट) तिरुचिरापल्ली; लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड (ई सी सी डिवीजन), चेन्नै; जे एस डब्ल्यू स्टील, बेल्लारी; नैशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (नैशनल कैपिटल पॉवर स्टेशन), दादरी और जय भारत मारुति लिमिटेड, नई दिल्ली शामिल हैं। जूरी ने 32 कंपनियों की पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति उनकी दृढ़ वचनबद्धता के लिए सराहना की है ।

VIII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी संरूपण में अपनी पहल को जारी रखा है । आयोजना एवं बजट, देश विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण, जोखिम उपाय और विश्लेषण; बैंक व्यापी सिस्टम; व्यापार वित्त, ट्रेजरी और आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विशेषीकृत पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका कोटि उन्नयन किया गया है। इन क्षेत्रों के सिस्टम में रणनीतिक आयोजना, आंतरिक सेवा प्रदान करना, ग्राहक इंटरफेस और ऑनलाइन ट्रेकिंग शामिल हैं ।

बैंक के पोर्टल (www.eximbankindia.in) को विभिन्न अंशधारकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रवर्धित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह वेबसाइट बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्यकलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रताओं पर सूचना का प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा, इसमें बैंक के विभिन्न उधार कार्यक्रमों तथा भारतीय निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए सूचना तथा सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहायता देने के लिए कई पहलें की हैं । बैंक की वेबसाइट पर लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए एक विशेष खंड रखा गया है। यह खंड भी लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि के लिए विभिन्न संसाधनों में अग्रता प्रदान करता है।

बैंक के कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.in) निर्यात बाज़ारों, मूल्य प्रवृत्तियों, मौसम की जानकारी, विश्व व्यापार संगठन, जैव प्रौद्योगिकी, प्रमाणन, पेटेंट, नीतियों पर संबंधित जानकारी, प्रकरण अध्ययन, बेंचमार्किंग और गुणवत्ता संबंधी जानकारी और बैंक की संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद वार जानकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। इस पोर्टल की विशेषताओं में एक मॉडरेटेड संदेश-बोर्ड, वार्ता सुविधा और क्रय तथा विक्रय मंच भी शामिल हैं।

IX. शोध एवं विश्लेषण

1989 में बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबंद्ध वित्तपोषण में शोध को बढ़ावा देना है । इस पुरस्कार में एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि तथा प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाता है । वर्ष 2005 की पुरस्कार विजेता अंकटाड के भारत कार्यक्रम की अर्थशास्त्री डॉ. रश्मि बंगा हैं उन्हें उनके शोध प्रारूप - ''भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पर जापानी तथा अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का प्रभाव एवं उनकी प्रकृति तथा स्वरूप'' पर प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित विषयों पर छह प्रासंगिक आलेख प्रकाशित किये गये: विकासशील देशों में भूमंडलीकरण तथा मज़दूरी पर निबंध; चुनिंदा पश्चिम अफ्रीकी देश : भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का एक अध्ययन; जी सी सी देश : भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का एक अध्ययन;

भारतीय चमड़ा उद्योग: परिप्रेक्ष्य तथा निर्यात संभाव्यता; पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रकरण अध्ययन; और पुष्पोत्पादन : एक प्रकरण अध्ययन ।

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए तीन कार्यकारी आलेख भी प्रकाशित किये हैं : वैनिला और भारत में इसकी संभाव्यता; भारत और चुनिंदा एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह तथा निवेश नीतियाँ : एक तुलनात्मक विश्लेषण; तथा भारत में लघु एवं मध्यम उद्यम का निर्यात निष्पादन ।

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान शृंखला, जिसकी शुरुआत 1986 में बैंक के कारोबार के प्रारंभ के उपलक्ष्य में की गई थी, को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले समसामयिक व्यापार और विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में ख्याति मिली है।

सर सुमा चक्रबर्ती, स्थायी सचिव अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आइ डी) यूनाइटेड किंगडम ने ''व्यापार और विकास में राष्ट्र की भूमिका'' विषय पर वर्ष 2006 के लिए स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया ।

X. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2006 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 200 थी जिसमें ऐसे 147 व्यवसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, बिज़नेस स्कूल स्नातक, विधि और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ, कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं । इस व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक का यह उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करे । 2005-06 के दौरान 135 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबंद्ध विविध विषयों पर विदेशों में कार्यक्रमों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया । इन कार्यक्रमों में औद्योगिक तथा परियोजना वित्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, वित्तीय व्युत्पन्न, आस्ति देयता तथा राजकोष प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन तथा बेसल II, दस्तावेज़ी ऋण, कृषि तथा खाद्य व्यवसाय प्रबंधन, पर्यावरण अभिशासन, जैविक सुरक्षा, एस एम ई वित्तपोषण, निर्यात विपणन, एन पी ए प्रबंधन और वसूली ऋण-नीतियाँ, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन, ई-वित्तपोषण, देश जोखिम विश्लेषण, वार्ता कौशल, संगठन में मानव कौशल का प्रबंध करना, गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त, संप्रेषण तथा नेतृत्व कौशल शामिल हैं ।

XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है : (i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) पुणे ने वर्ष 2004-05 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से इस बैंक के प्रधान कार्यालय को सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है । (ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ने वर्ष 2004-05 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से बैंक के प्रधान कार्यालय के सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है। (iii) बैंक के कोलकाता कार्यालय ने बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता की ओर से वर्ष 2004-05 के दौरान हिन्दी के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है । (iv) बैंक के नई दिल्ली कार्यालय ने वर्ष 2004-05 में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने के लिए बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली से प्रोत्साहन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ।

2005-06 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिंदी में भी जारी की गई हैं । ऋण करारों का हिंदी में अनुवाद किया गया है । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए गए हैं । बैंक के परिचालनों और क्रियाविधि संबंधी साहित्य के अतिरिक्त बैंक के स्थापना दिवस के वार्षिक व्याख्यान और प्रासंगिक आलेख हिंदी में प्रकाशित किये गये हैं ।

2005-06 के दौरान बैंक के अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पच्चीस हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं । बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना बैंक में लागू है ।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 01 सितम्बर, 2005 से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । इस अवसर पर एक्ज़िमिअस के दो विशेषांक अर्थात 'विश्व हिंदी विशेषांक' प्रकाशित किये गए। बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस: एक्सपोर्ट एडवांटेज़' का हिंदी रूपांतर 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया । बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों को भी हिंदी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया । बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिंदी का भी एक खंड है।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया है।

राजभाषा नीति का अनुपालन तथा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जांच-बिंदु बनाए गए हैं । बैंक में हिंदी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही अंतरालों में आयोजित की गई हैं।

XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2006 को बैंक की सेवा में कुल 200 कर्मचारियों में 27 अनुसूचित जाति, 19 अनुसूचित जनजाति और 17 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन कर्मचारी सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है । बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है ।

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्तपोषण संस्थाओं के संघ द्वारा एक्ज़िम बैंक को 'ट्रेड डिवेलपमेंट अवार्ड' से चौथी बार सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड ग्रामीण उद्योगों की सहायता हेतु एक्ज़िम बैंक के कार्यक्रम की स्वीकृति के उपलक्ष्य में है।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2006 को
एवं
2005-06 का
लाभ और हानि लेखा

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार को 867.50 मिलियन रुपये का लाभांश अदा किया। माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन से चेक प्राप्त करते हुए।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2006 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये
1.	पूँजी	I	9,499,918,881	8,499,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	17,703,125,302	16,624,988,097
3.	लाभ और हानि लेखा	III	867,500,000	654,400,000
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, बाँड एवं डिबेंचर		126,727,279,450	98,972,004,153
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	454,043,000	82,080,000
7.	उधार राशियाँ	V	32,908,645,250	21,063,644,411
8.	चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		10,869,399,593	8,455,936,633
9.	अन्य देयताएँ		2,370,712,989	2,568,805,796
	योग		**201,400,624,465**	**156,921,777,971**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	34,023,061,100	23,726,918,700
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	28,736,790,900	24,012,294,600
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	45,469,500	45,508,500
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,117,735,700	3,318,800,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	4,650,000,000	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	3,724,403,800	953,401,700
	योग	**74,297,461,000**	**52,056,923,500**

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	4,758,104,497	8,826,287,999
2.	निवेश	VII	9,223,695,626	9,709,773,942
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	166,160,940,860	126,603,949,052
4.	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	9,770,000,000	2,500,000,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	575,699,058	587,874,596
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	10,912,184,424	8,693,892,382
	योग		**201,400,624,465**	**156,921,777,971**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

आर.एम.वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **वी. पी. शेट्टी** **डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़**

ए. के. पुरवार **एस. सी. गुप्ता** **डॉ. विनयशील गौतम** **एस. पी. ओसवाल**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम. सं.-39585)

मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज		10,252,521,760	7,384,423,624
2.	ऋण बीमा , शुल्क एवं प्रभार		31,980,063	36,623,683
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		114,273,109	94,643,601
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फ़ीस तथा व्यय		108,792	218,500
5.	लेखा परीक्षा की फ़ीस		455,000	455,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		44,910,872	48,643,757
7.	संचार विषयक व्यय		18,683,755	19,699,586
8.	विधि विषयक व्यय		6,853,506	37,845,253
9.	अन्य व्यय	XII	233,834,917	223,089,706
10.	मूल्यह्रास		66,853,865	60,147,468
11.	ऋण हानियों / निवेशों पर आकस्मिकताओं, मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान		35,972,703	–
12.	आगे ले जाया गया लाभ		3,768,802,298	3,143,518,968
	योग		**14,575,250,640**	**11,049,309,146**
	आय कर के लिए प्रावधान		1,061,365,093	564,427,396
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ		2,707,437,205	2,579,091,572
			3,768,802,298	**3,143,518,968**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1. हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च 2006 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।
2. हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं ;

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं ;

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च 2006 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते **मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम सं. 39585)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

Sp47K47

सामान्य निधि

आय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज और बट्टा	XIII	13,576,114,896	10,264,606,770
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस		671,571,425	547,979,724
3.	अन्य आय	XIV	327,564,319	236,722,652
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		–	–
	योग		**14,575,250,640**	**11,049,309,146**
	लाभ, नीचे लाया गया		3,768,802,298	3,143,518,968
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		–	–
			3,768,802,298	**3,143,518,968**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

आर.एम.वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **वी. पी. शेट्टी** **डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़**

ए. के. पुरवार **एस. सी. गुप्ता** **डॉ. विनयशील गौतम** **एस. पी. ओसवाल**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम. सं. 39585)

मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2006 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
1.	प्राधिकृत	10,000,000,000	10,000,000,000
2.	निर्गमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	9,499,918,881	8,499,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित :**		
1.	आरक्षित निधि	12,708,630,493	12,280,493,288
2.	सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
3.	अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	614,175,745	564,175,745
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	820,319,064	720,319,064
4.	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	3,560,000,000	3,060,000,000
		17,703,125,302	**16,624,988,097**
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
1.	परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	2,707,437,205	2,579,091,572
2.	घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	428,137,205	1,189,169,672
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	50,000,000	150,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	500,000,000	400,000,000
	- लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान	121,700,000	85,521,900
	- आस्थगित कर देयताएं	640,100,000	–
3.	निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय)	**867,500,000**	**654,400,000**
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
(क)	भारत में	454,043,000	82,080,000
(ख)	भारत के बाहर	–	–
		454,043,000	**82,080,000**

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	–
2.	भारत सरकार से	66,666,670	80,000,003
3.	अन्य स्रोतों से		
	(क) भारत में	13,424,712,640	7,687,450,000
	(ख) भारत के बाहर	19,417,265,940	13,296,194,408
		32,908,645,250	**21,063,644,411**
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
1.	हाथ में नकदी	179,965	71,239
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,064,379	7,030,117
3.	अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में		
	(i) चालू खातों में	30,902,102	12,127,416
	(ii) अन्य जमा खातों में	414,433,000	3,226,798,264
	(ख) भारत के बाहर	4,311,525,051	5,480,260,963
4.	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	–	100,000,000
		4,758,104,497	**8,826,287,999**
अनुसूची VII :	**निवेश :** **(मूल्य में ह्रास का निवल यदि कोई है)**		
1.	केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	3,286,456,688	2,923,205,072
2.	ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,020,647,600	1,041,037,327
3.	अधिमान शेयर एवं स्टॉक	421,522,351	313,973,041
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, डिबेंचर एवं बाँड	1,725,159,761	1,255,933,502
5.	अन्य	2,769,909,226	4,175,625,000
		9,223,695,626	**9,709,773,942**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को)
	रुपये	रुपये
अनुसूची VIII : ऋण एवं अग्रिम :		
1. विदेशी सरकारें	7,925,914,166	2,499,669,979
2. बैंक :		
(क) भारत में	38,686,241,465	22,561,469,022
(ख) भारत के बाहर	1,287,436,115	1,314,025,408
3. वित्तीय संस्थाएं :		
(क) भारत में	–	–
(ख) भारत के बाहर	779,267,342	1,109,051,242
4. अन्य	117,482,081,772	99,119,733,401
	166,160,940,860	**126,603,949,052**
अनुसूची IX : भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र :		
(क) भारत में	9,770,000,000	2,500,000,000
(ख) भारत के बाहर	–	–
	9,770,000,000	**2,500,000,000**
अनुसूची X : अचल आस्तियाँ :		
(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
1. परिसर	545,382,054	552,124,782
2. अन्य	30,317,004	35,749,814
	575,699,058	**587,874,596**
अनुसूची XI : अन्य आस्तियाँ :		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज़		
(क) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	2,429,454,992	1,727,458,626
(ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	1,174,669,741	632,256,733
2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	492,469	673,339
3. विविध पक्षों के पास जमाराशियां	21,774,210	21,346,779
4. प्रदत्त अग्रिम आय कर	5,448,460,755	4,015,857,885
5. अन्य [आस्थगित कर आस्ति सहित शून्य रुपये (गत वर्ष-225,572,604 रुपये)]	1,837,332,257	2,296,299,020
	10,912,184,424	**8,693,892,382**

	इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को)
अनुसूची XII : अन्य व्यय :	**रुपये**	**रुपये**
1. निर्यात संवर्धन व्यय	6,518,529	1,781,332
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	2,797,944	2,411,183
3. मरम्मत और रखरखाव	34,023,797	32,368,327
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	8,100,997	8,811,242
5. अन्य	182,393,650	177,717,622
	233,834,917	**223,089,706**
अनुसूची XIII : ब्याज एवं छूट :		
1. ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	9,592,920,128	6,673,648,701
2. निवेश / बैंक शेष राशियों पर आय	3,983,194,768	3,590,958,069
	13,576,114,896	**10,264,606,770**
अनुसूची XIV : अन्य आय :		
1. बिक्री / निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	211,284,667	210,559,296
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	1,970,193	304,869
3. अन्य	114,309,459	25,858,487
	327,564,319	**236,722,652**

टिप्पणी : 'देयताओं' के अंतर्गत 599.87 मिलियन यू एस डॉलर की जमाराशियों [अनुसूची IV (क) देखिए] (गत वर्ष 501.57 मिलियन यू एस डॉलर) तथा आस्तियों के अंतर्गत रेसीप्रोकल जमाओं/निवेशों [अनुसूचियां VI 3 (क) (ii) एवं VII 4 देखिए] कुल 2,668.55 करोड़ रुपये (गत वर्ष 2,202.86 करोड़ रुपये) को निवलित किया गया है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2006 को

देयताएँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	55,057,318	47,006,318
5.	लाभ और हानि लेखा	183,744,465	170,999,818
	योग	**367,109,570**	**346,313,923**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	–	–

टिप्पणी 1 : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा 'निर्यात विकास निधि' की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

टिप्पणी 2 : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि निर्यात संवर्धन निधि की कोई भी आय, लाभ अथवा उसमें प्रोद्भूत होने वाले अभिलाभ अथवा इस निधि में जमा किये जाने के लिए प्राप्त राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा), का वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लोप किया गया है। एक्जिम बैंक को यह सूचित किया गया है कि, उक्त धारा चूँकि 31 मार्च 1999 तक प्रभावी थी अतः यह छूट, लेखा वर्ष 1998-99 की समाप्ति तक निधि को प्रोद्भूत अथवा उद्भूत आय के संबंध में उपलब्ध रहेगी। आयकर प्राधिकारियों ने कर निर्धारण आदेश भी पास किया था और एक्जिम बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 66.18 लाख रुपये के कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के लिए अनुवर्तन कर रहा है।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2006 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये
1.	बैंक शेष		
	(क) चालू खातों में	12,498	14,191
	(ख) अन्य जमा खातों में	303,124,579	297,114,675
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ		
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	(i) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	(ii) निवेश / बैंक शेष	10,715,175	2,393,739
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	44,752,000	38,286,000
	(ग) अन्य	–	–
	योग	**367,109,570**	**346,313,923**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

आर.एम.वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **वी. पी. शेट्टी** **डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़**

ए. के. पुरवार **एस. सी. गुप्ता** **डॉ. विनयशील गौतम** **एस. पी. ओसवाल**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम. सं. 39585)

मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	19,210,647	17,076,033
	योग	**19,210,647**	**17,076,033**
	आय कर के लिए प्रावधान	6,466,000	6,250,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	12,744,647	10,826,033
		19,210,647	**17,076,033**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात संवर्धन निधि के संलग्न यथा 31 मार्च 2006 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के लाभ और हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त, लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन एवं साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च 2006 को बैंक के निर्यात संवर्धन निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते **मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

(ए. वी. कामत)
साझेदार
(एम सं. 39585)

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज और बट्टा		
	(क) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	(ख) निवेश / बैंक शेष	19,210,647	17,076,033
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	–
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	**19,210,647**	**17,076,033**
	लाभ , नीचे लाया गया	19,210,647	17,076,033
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
		19,210,647	**17,076,033**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

आर.एम.वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **वी. पी. शेट्टी** **डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़**

ए. के. पुरवार **एस. सी. गुप्ता** **डॉ. विनयशील गौतम** **एस. पी. ओसवाल**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम. सं. 39585)

मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	राशि (रुपये मिलियन में) इस वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	3,768.9
निम्नलिखित के लिए समायोजन	
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(2.0)
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(211.3)
– मूल्य ह्रास	66.9
– बट्टे में डाले गए बांड निर्गमों पर बट्टा/व्यय	118.1
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतरण	—
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	36.0
– अन्य - उल्लेख करें	—
	3,776.6
निम्नलिखित के लिए समायोजन	
– अन्य आस्तियां	(1,065.4)
– चालू देयताएं	611.4
परिचालनों से नकदी निर्माण	3,322.6
आय कर/ब्याज कर की अदायगी	(1,440.7)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	1,881.9
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(52.8)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(697.4)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से जुटायी गयी निवल नकदी	644.6

सामान्य निधि

	राशि (रुपये मिलियन में) इस वर्ष
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	
– लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से	1,000.0
– लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से	39,972.2
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल) से	(46,827.0)
– ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर से	(739.9)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह	(6,594.7)
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि (गिरावट)	(4,068.2)
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य	8,826.3
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य	4,758.1

नोट : चूंकि नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली 1982 के अंतर्गत वार्षिक लेखों के एक भाग के रूप में भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना सं. 38 दिनांकित सितंबर, 17-23, 2005 के जरिए निर्धारित किया गया है अतः पिछले वर्ष के आकड़े नहीं दिए गए हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

आर.एम.वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **वी. पी. शेट्टी** **डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़**
ए. के. पुरवार **एस. सी. गुप्ता** **डॉ. विनयशील गौतम** **एस. पी. ओसवाल**
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम. सं. 39585)

मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

लेखों की टिप्पणियाँ

I महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात संवर्धन निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किये गये हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं. सी. 18/01.02.00/2000-01, दिनांकित 13 अगस्त 2005 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े ''लेखों की टिप्पणियाँ'' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ii) राजस्व निर्धारण

गैर निष्पादक आस्तियों और ''भारग्रस्त आस्तियों'' पर ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार जिन्हें नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय /व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बांडों पर दिया जानेवाला बट्टा / मोचन प्रीमियम बांड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और उसे ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शाई गई ऋण और अग्रिम राशियों में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. द्वारा निपटाये गये दावों एवं गैर निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होने वाले ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है।

खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है : मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (परिपक्वता तक धारित करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य / ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (शेष निवेश)।

निवेशों का निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकरण किया गया है :

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर और बांड

v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड की यूनिटें आदि में)

निवेशों की विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वामित्व वाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया या नष्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित कर लिया गया है।

(vi) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तथा इससे उत्पन्न होने वाले लाभ / हानियों को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का उल्लेख वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया गया है।

(vii) गारंटियाँ

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेज़ों की वापसी और निरसन तक आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) ई सी जी सी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान

बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ यदि कोई हैं, का अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ix) आय पर करों का लेखांकन

(क) संबंधित संविधि के अधीन, अदायगी योग्य कर पर आधारित, चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय निर्धारण पर आस्थगित कर की गणना, कर दरों पर तथा अधिनियम विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी गई है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

II लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूँकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को इराक में सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत सरकार को समनुदेशित 27.71 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 27.11 बिलियन रुपये) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित 30.66 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 30.00 बिलियन रुपये) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आय-कर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी भी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), 1 अप्रैल, 1999 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 द्वारा निकाल दी गई है। एक्ज़िम बैंक को सूचित किया गया था कि चूँकि उक्त धारा 31 मार्च, 1999 तक लागू थी, अतएव लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली आय के लिए छूट उपलब्ध होगी। तथापि एक्ज़िम बैंक ने कराधान के लिए प्रावधान किया था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि का निर्माण कर लिया था तथा बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के 0.79 बिलियन रुपये के कर की तथा 0.06 बिलियन रुपये ब्याज-कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के मामले का अनुवर्तन कर रहा है। बैंक ने निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2004-05 के लिए आय कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग के प्रति आंशिक भुगतान भी किया है और अदा किये गये कर की वापसी के लिए कार्रवाई की जा रही है। निर्धारण वर्ष 1999-00 तथा 2000-01 के लिए भी ब्याज-कर की मांग अपील में है।

3. (क) आकस्मिक देयताएँ

गारंटियों में 12.18 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 6.62 बिलियन रुपये) की अवधि समाप्त गारंटियां शामिल हैं, उन्हें खातों में से निरस्त किया जाना है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया'' के रूप में दिखाई गई 3.11 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 3.32 बिलियन रुपये) की राशि बैंक के चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किये गये दावों/प्रति-दावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रति-दावा चलाने -योग्य नहीं है। कोई भी मामला अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है। व्यावसायिक सलाह के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा /ब्याज दर विनिमय

यथा 31 मार्च 2006 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से प्रतिरक्षा की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एम पी डी. बी सी. 187/07.01.279/1999-2000 के जरिये एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर विनिमय, वायदा दर करार तथा मुद्रा-सह-ब्याज दर विनिमय) करता है। बैंक आवश्यकताओं/बाज़ार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदों को खोलता भी है तथा पुनः करता है। डेरिवेटिव सौदे आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) के अनुमोदन से किए जाते हैं और इनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति में कैप्चर किया जाता है जिसकी एल्को द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव्स का वर्तमान समतुल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आधारित ''चालू ऋण सहायता'' पद्धति के अनुसार निकाला जाता है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पी वी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को रिज़र्व बैंक द्वारा नियत रूप से ''लेखों की टिप्पणियों'' में अलग से प्रकट किया गया है।

Sp60K60

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार - अतिरिक्त सूचना

4. पूंजी

(क)

विवरण	यथा 31 मार्च 2006 को	यथा 31 मार्च 2005 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर ए आर)	18.42%	21.58%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मूल पूंजी अनुपात	17.21%	20.41%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूंजी अनुपात	1.21%	1.17%

(ख) 'अपरक्राम्य वचन-पत्र, बांड और डिबेंचर' में 8% 2022 बांड शामिल हैं जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 5.59 बिलियन रुपये) का अभिदान किया है। ये बांड अप्रतिभूत हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों/जमाओं/गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I पूंजी के लिए पात्र हैं।

(ग) यथा 31 मार्च 2006 को टीयर - II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : कुछ नहीं रुपये (पिछले वर्ष : कुछ नहीं रुपये)

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ (बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31मार्च 2006 को	यथा 31 मार्च 2005 को
(i) तुलन-पत्र 'की' मदें	146.47	119.76
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गईं' मदें	29.49	17.41

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

5. यथा 31 मार्च 2006 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.59 (गत वर्ष 0.85)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत निवल गैर-निष्पादक-आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च 2006 को		यथा 31 मार्च 2005 को	
	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
अवमानक आस्तियाँ	1.05	0.59	0.47	0.37
संदिग्ध आस्तियाँ	–	–	0.62	0.48
हानि आस्तियाँ	–	–	–	–
योग	1.05	0.59	1.09	0.85

Sp55K55

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किये गये प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2005-06	2004-05
मानक आस्तियाँ	0.38	0.07
गैर-निष्पादक आस्तियाँ	1.04	0.83
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.24	0.24
आय-कर	1.06	0.56

(घ) निवल गैर निष्पादक-आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2005-06	2004-05
वर्ष के आरंभ में निवल गैर-निष्पादक-आस्तियाँ	1.09	1.29
जोड़ें : वर्ष के दौरान नई गैर-निष्पादक आस्तियाँ	1.37	0.47
घटाएं : वर्ष के दौरान वसूलियाँ/कोटि उन्नयन	1.41	0.67
वर्ष की समाप्ति पर निवल गैर-निष्पादक-आस्तियाँ	1.05	1.09

(ङ) गैर-निष्पादक -आस्तियों (जिसमें ऋण, बांड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर - कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

(बिलियन रुपये)

विवरण	2005-06	2004-05
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	5.00	6.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.04	0.83
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	1.69	1.83
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	4.35	5.00

(च) आस्ति पुनर्निर्माण हेतु वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियां :

(i) खातों की संख्या - 4

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों का निवल) कुल मूल्य - 0.43 बिलियन रुपये

(iii) कुल प्रतिफल - 0.60 बिलियन रुपये

(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित खातों के विषय में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल - लागू नहीं होता

(v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ - 0.17 बिलियन रुपये

- ''पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों'' को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं. सी-2/01.02.00/2004-05 दिनांकित 2 अगस्त 2004 और उसके बाद के दिशा निर्देशों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(छ) गैर-निष्पादक निवेश

(बिलियन रुपये)

विवरण	2005-06	2004-05
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.24	0.14
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–	0.14
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियां	–	0.04
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.24	0.24
धारित कुल प्रावधान	0.24	0.13

(ज) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2005-06	2004-05
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.43	0.18
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.24	0.12
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	–	0.15
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बट्टा खाता	–	–
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	–	0.02
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.67	0.43

(झ) यथा 31 मार्च, 2006 को पुनर्संरचित मानक आस्तियाँ : 0.16 बिलियन रुपये (गत वर्ष 0.53 बिलियन रुपये)।

(ञ) यथा 31 मार्च 2006 को पुनर्संरचित अवमानक आस्तियाँ : 0.04 बिलियन रुपये (गत वर्ष 0.12 बिलियन रुपये)।

(ट) यथा 31 मार्च, 2006 को पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियाँ : 0.01 बिलियन रुपये (गत वर्ष 0.04 बिलियन रुपये)।

(ठ) वर्ष के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना : (बिलियन रुपये)

विवरण	2005-06	2004-05
(क) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित ऋण-आस्तियों की कुल राशि (क = ख + ग + घ)	0.68	1.44
(ख) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित मानक आस्तियों की राशि	0.68	1.39
(ग) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित अवमानक आस्तियों की राशि	—	—
(घ) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियों की राशि	—	0.05

(ड) ऋण सहायता :

विवरण	पूँजी निधियों* की तुलना में प्रतिशतता	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	21.89	1.91	3.21
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	44.62	3.90	6.55
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	137.20	11.98	20.13
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	181.31	15.84	26.60

* यथा 31 मार्च 2005 को पूँजी निधियाँ

गत वर्ष :

विवरण	पूँजी निधियों* की तुलना में प्रतिशतता	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.64	1.95	2.50
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	20.74	2.30	2.94
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	109.19	12.10	15.47
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	137.65	15.26	19.50

* यथा 31 मार्च 2004 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियां + उपयोग नहीं की गई मंजूरियां + गारंटियाँ + व्युत्पन्नों के कारण ऋण सहायता।

1) बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किये गये ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अतः उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च 2006 को पूँजी निधियों के 15% से अधिक निवेश वाला एक उधारकर्ता था जिसके लिए बोर्ड / प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था। यथा 31 मार्च 2006 को इस उधारकर्ता को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूंजी निधियों का 22% थी।

(ढ) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र और परिधान	10.75	11.91
ii) धातु और धातु प्रसंस्करण	9.76	10.81
iii) इंजीनियरी सामान	8.25	9.14
iv) निर्माण	8.08	8.95
v) पूँजीगत माल	7.87	8.72

गत वर्ष :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र और परिधान	10.66	12.69
ii) निर्माण	9.31	11.08
iii) दवाइयाँ और औषधियाँ	9.21	10.96
iv) इंजीनियरी सामान	7.26	8.64
v) धातु और धातु प्रसंस्करण	7.11	8.47

- ''ऋण सहायता'' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- बैंकों को ऋण सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं को ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता ऋण सहायता को, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ण) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि				
		राशि	निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की	'निवेश कोटि से कम स्तर' की धारित प्रतिभूतियों की	दर-निर्धारित न की गई धारित 'प्रतिभूतियों' की	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	—	—	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएं	0.24	—	—	0.24	0.24
3	बैंक	0.28	—	—	0.08	0.08
4	निजी कंपनियाँ	2.59	0.06	—	2.59	2.35*
5	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	0.33	—	—	0.33	0.33
6	अन्य	2.77	—	—	2.77	0.27
7	# मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान	0.32	—	—	—	—
	कुल	6.26	0.06	—	6.06	3.32

किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है ।

* इसमें से 1.68 बिलियन रुपये ए आर सी आइ एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.52 बिलियन रुपये ऋण की पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं ।

उक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं हैं।

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि				
		राशि	निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की	'निवेश कोटि से कम स्तर' की धारित प्रतिभूतियों की	'दर-निर्धारित न की गई 'प्रतिभूतियों' की	'असूचीबद्ध' धारित प्रतिभूतियों की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3.48	3.43	—	3.48	*3.48
2	वित्तीय संस्थाएं	0.50	—	—	0.50	0.24
3	बैंक	0.13	—	—	0.08	0.08
4	निजी कंपनियाँ	1.95	0.06	—	1.95	**1.74
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम	0.19	—	—	0.19	0.19
6	अन्य	4.18	—	—	4.18	0.18
7	# मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान	0.21	—	—	—	—
	कुल	10.43	3.49	—	10.38	5.91

किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है ।

* इसमें से 3.43 बिलियन रुपये, यू एस डॉलर / भारतीय रुपये की अदला-बदली के जरिए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से किए गए थे ।

** इसमें से 1.05 बिलियन रुपये ए आर सी आइ एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.62 बिलियन रुपये ऋण के पुरर्संरचना के एक हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं ।

उक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं हैं।

6. चल निधि

(क) रुपया आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप ।

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	73.93	65.15	35.40	11.75	29.83	216.06
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	63.06	30.86	49.77	4.41	7.72	155.82
कुल आस्तियाँ	136.99	96.01	85.17	16.16	37.55	371.88
रुपया देयताएं	71.88	42.32	26.17	16.83	56.64	213.84
विदेशी मुद्रा देयताएं	51.48	28.31	57.74	1.48	15.05	154.06
कुल देयताएं	123.36	70.63	83.91	18.31	71.69	367.90

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	44.60	40.72	43.31	17.77	26.13	172.53
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	42.40	14.54	33.49	6.66	6.85	103.94
कुल आस्तियाँ	87.00	55.26	76.80	24.43	32.98	276.47
रुपया देयताएं	43.73	39.27	22.75	9.09	53.98	168.82
विदेशी मुद्रा देयताएं	37.70	6.82	34.69	8.28	15.43	102.92
कुल देयताएं	81.43	46.09	57.44	17.37	69.41	271.74

- आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित 31 दिसंबर 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आइ डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के और उसके बाद जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-समूहों में किया गया है ।

(ग) रेपो लेन-देन :

(बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2006 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
उलटे रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	2.64	0.01	—

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2005 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
उलटे रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	2.92	0.21	—

7. भारतीय रिज़र्व बैंक के 26 अप्रैल 2005 के और उसके बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
1	डेरिवेटिव (सांकेतिक मूल राशि)		
	क) हेजिंग के लिए	56.26	26.82
	ख) ट्रेडिंग के लिए	—	—
2	मार्क-टु-मार्केट स्थितियाँ		
	क) आस्ति (+)	—	—
	ख) देयता (-)	0.57	0.68
3	ऋण सहायता	3.05	0.12
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.97	0.57
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	—	—
5	वर्ष के दौरान देखी गयी 100* पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम		
	क) हेजिंग पर		
	(i) अधिकतम	0.97	0.64
	(ii) न्यूनतम	0.44	0.53
	ख) ट्रेडिंग पर		
	(i) अधिकतम	—	—
	(ii) न्यूनतम	—	—

8. परिचालनगत परिणाम

(क) औसत कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय : 7.63 (गत वर्ष 6.12)

(ख) औसत कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याजेतर आय : 0.56 (गत वर्ष 0.46)

(ग) औसत कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ : 2.14 (गत वर्ष 2.33)

(घ) औसत आस्तियों पर प्रतिफल : 1.52% (गत वर्ष 1.81%)

(ङ) प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ : 13.5 मिलियन रुपये (गत वर्ष 13.4 मिलियन रुपये)

- परिचालन परिणाम के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है । (''कार्यशील निधियाँ'' कुल आस्तियों से संबंधित हैं),
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी स्थायी एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है ।

9. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक ए एस-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च 2005 को लागत	0.81	0.34	1.15
परिवर्धन	0.04	0.02	0.06
निपटान	—	0.02	0.02
यथा 31 मार्च 2006 को लागत (क)	0.85	0.34	1.19
मूल्य ह्रास			
यथा 31 मार्च 2005 को संचित	0.26	0.30	0.56
वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई	0.04	0.03	0.07
निपटान पर समाप्त	—	0.02	0.02
31 मार्च 2006 को संचित (ख)	0.30	0.31	0.61
निवल ब्लॉक (क-ख)	0.55	0.03	0.58

10. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, समुद्रपारीय बैंकों / संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है ।

11. खंड रिपोर्टिंग

आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस-17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य कोई खंड नहीं हैं क्योंकि बैंक के परिचालन में प्रमुखत: एक खंड अर्थात थोक वित्तीय कार्यकलाप शामिल हैं।

12. संबंधित पक्षकार प्रकटन

आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस - 18, संबंधित पक्षकार प्रकटन के अनुसार बैंक के संबंधित पक्षकारों को नीचे प्रकट किया गया है :

- संबंध

  (I) संयुक्त उद्यम :

  - ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि.
  - ग्लोबल ट्रेड फाइनैंस लि.

  (II) प्रमुख कार्यपालक कार्मिक :

  - श्री टी.सी.वेंकट सुब्रमणियन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- बैंक के संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(मिलियन रुपये)

	संयुक्त उद्यम 2005-06	संयुक्त उद्यम 2004-05
मंजूर किए गए ऋण	600.00	804.97
किए गए निवेश	329.98	185.98
प्राप्त ब्याज	4.32	12.98
प्रदान की गयी सेवाओं के लिए प्राप्त राशियां	0.90	0.17
स्वीकृत सावधि जमा राशियां	5.00	—
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.11	—

वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि : शून्य रुपये (गत वर्ष 176.82 मिलियन रुपये)

वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण राशि : 250.00 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 458.90 मिलियन रुपये)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक का 29 मार्च 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बी सी.89/21.04.018/2002-03 ऐसे लेन-देनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात प्रमुख प्रबंधन कार्मिक) है।

13. आय पर करों का लेखांकन - ए एस 22

(क) चालू वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान का विवरण : (मिलियन रुपये)

(i) आय पर कर	997.30
(ii) फ्रिंज बेनिफिट कर	8.11
(iii) आस्थगित कर देयता	55.96
	1061.37

(ख) आस्थगित कर देयता/आस्ति :

वर्ष के दौरान, बैंक ने चालू वर्ष के लिए और पूर्व वर्षों के लिए भी आयकर अधिनियम, 1961 की 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व के स्वरूप में अनुमत/दावा की गयी कर छूट के संबंध में आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान किया है। 2004-05 तक के

वित्तीय वर्षों के लिए 640.10 मिलियन रुपये की आस्थगित कर देयताओं को वर्ष 2005-06 के लाभ में विनियोजित किया गया है और वर्ष 2005-06 के 150.45 मिलियन रुपये को वर्ष के लिए कर प्रावधान की गणना में हिसाब में लिया गया है। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का प्रमुख मदों में संगठन नीचे दिया गया है ।

(मिलियन रुपये)

आस्थगित कर देयता	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष
1. बांड निर्गम खर्च का परिशोधन	26.18
2. धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	
– 2004-05 तक	640.10
– 2005-06 के लिए	150.45
	816.73
घटाएं: आस्थगित कर आस्तियां	
1. अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	306.28
2. अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	35.24
3. अन्य	4.72
	346.24
निवल आस्थगित कर देयता (तुलन-पत्र के 'देयताएं' पक्ष में 'अन्य देयताओं' में शामिल)।	**470.49**

14. संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग - ए एस 27

I .

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	देश	धारिता की प्रतिशतता	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
क	ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि.	भारत	26%	26%
ख	ग्लोबल ट्रेड फाइनैंस लिमिटेड (जी टी एफ)	भारत	40%	40%

टिप्पणी : यथा 31 मार्च 2006 को जी टी एफ के प्रवर्तनीय अधिमान शेयरों में निवेश : 144 मिलियन रुपये।

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है :

(मिलियन रुपये)

देयताएं	2005-06	2004-05	आस्तियाँ	2005-06	2004-05
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	411.33	219.07	अचल आस्तियाँ	52.07	45.19
ऋण	2824.57	1606.60	निवेश	0.07	52.45
अन्य देयताएं	85.06	557.70	अन्य आस्तियां	3268.82	2285.73
कुल	3320.96	2383.37	कुल	3320.96	2383.37

आंकड़े अनंतिम हैं।

(मिलियन रुपये)

व्यय	2005-06	2004-05	आय	2005-06	2004-05
ब्याज तथा वित्तपोषण व्यय	132.16	70.24	फैक्टरिंग कार्यकलाप से आय	220.47	127.76
अन्य व्यय	47.32	54.75	परामर्शी आय	8.08	3.94
प्रावधान	31.46	15.20	ब्याज आय तथा निवेश से आय	17.35	33.98
			अन्य आय	25.57	0.60
कुल	210.94	140.19	कुल	271.47	166.28

आंकड़े अनंतिम हैं।

15. जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पहली बार प्रकटन किये गये हैं, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिये गये हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

आर.एम.वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **वी. पी. शेट्टी** **डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडिज़**

ए. के. पुरवार **एस. सी. गुप्ता** **डॉ. विनयशील गौतम** **एस. पी. ओसवाल**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मुकुंद एम. चितले एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(ए. वी. कामत)
साझेदार (एम. सं. 39585)

मुम्बई
दिनांक : 22 अप्रैल, 2006

संगठन संरचना

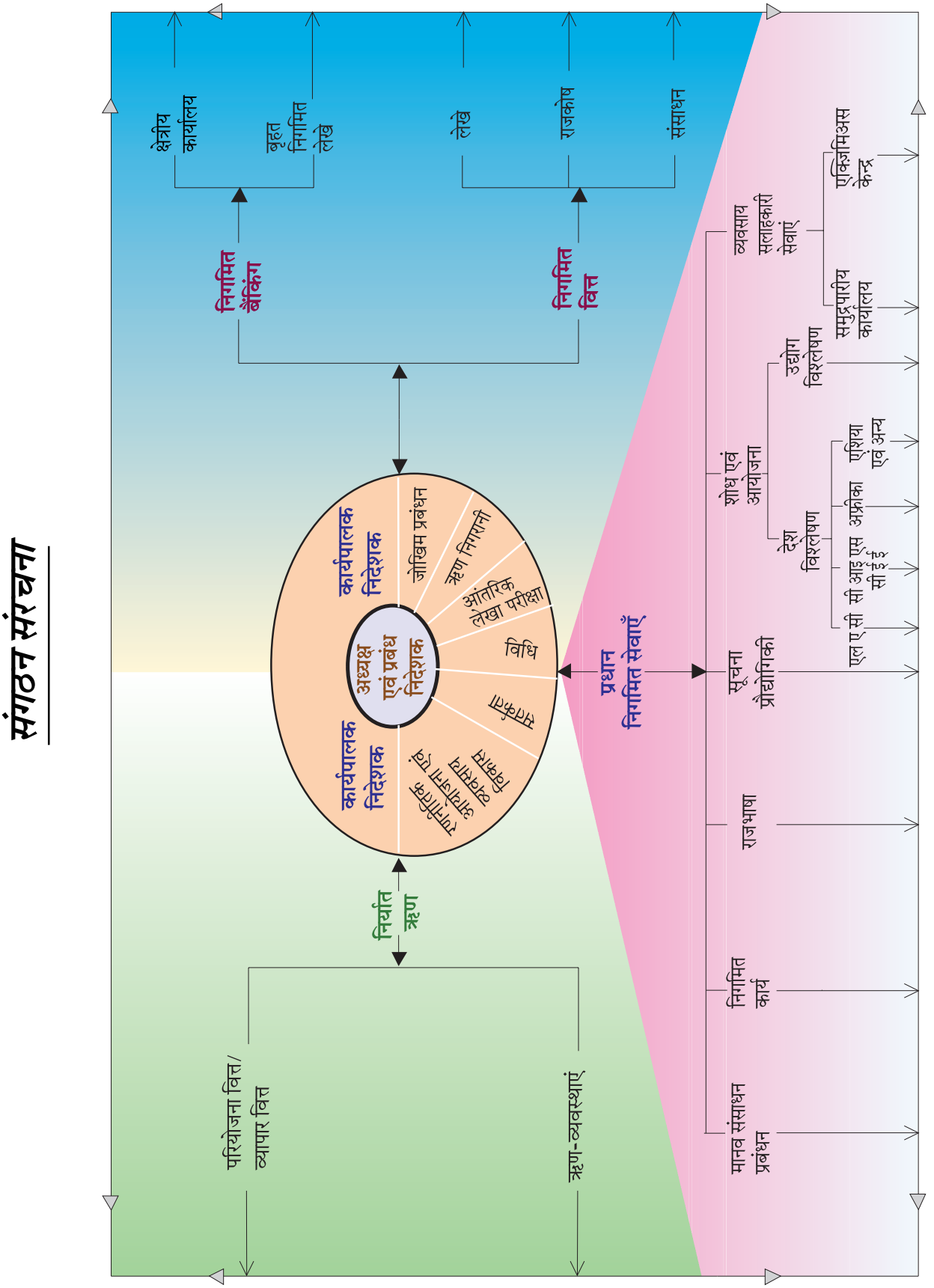

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कार्यपालक निदेशक
कार्यपालक निदेशक
जोखिम प्रबंधन
ऋण निगरानी
आंतरिक लेखा परीक्षा
विधि
सतर्कता
रणनीतिक आयोजना एवं व्यवसाय विकास
निर्यात ऋण
परियोजना वित्त/ व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएं
निगमित बैंकिंग
क्षेत्रीय कार्यालय
बृहत निगमित लेखे
निगमित वित्त
लेखे
राजकोष
संसाधन
प्रधान निगमित सेवाएँ
मानव संसाधन प्रबंधन
निगमित कार्य
राजभाषा
सूचना प्रौद्योगिकी
शोध एवं आयोजना
देश विश्लेषण
एल ए सी
सी आइ एस सी ई ई
अफ्रीका
एशिया एवं अन्य
उद्योग विश्लेषण
व्यवसाय सलाहकारी सेवाएं
समुद्रपारीय कार्यालय
एक्ज़िमिअस केन्द्र

प्रबंधन दल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन

कार्यपालक निदेशकगण

एस. श्रीधर (अप्रैल 2006 तक)

आर. एम. वी. रामन

समूह प्रमुख

एस. आर. राव
निगमित सेवाएँ

पी. ए. मकवाना
परियोजना वित्त/व्यापार वित्त

एस. भट्टाचार्य
कृषि व्यापार एवं ल. म. उ.

डी. जी. प्रसाद
निगमित बैंकिंग

एन. शंकर
निगमित वित्त

पी. आर. दलाल
ऋण-व्यवस्थाएँ

सी. पी. रवींद्रनाथ
विधि

जॉन मैथ्यू
निगमित बैंकिंग

डेविड रस्किन्हा
मुख्य जोखिम अधिकारी

क्षेत्रीय प्रमुख

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
देवानंद रजक

बैंगलोर
टी. डी. सिवकुमार

चेन्नै
के. मुत्थुकुमारन

गुवाहाटी
सौमार सोनोवाल

हैदराबाद
विजय कृष्णा रेड्डी

कोलकाता
जोगिंदर सिंह

मुंबई
जी. पुरुषोत्तमन

नई दिल्ली
सुनील त्रिखा

पुणे
आर. डब्ल्यू. खन्ना

विदेश स्थित कार्यालय

बुडापेस्ट
निर्मित वेद

ज़ोहॉनिस्बर्ग
संजीव कुमार पवार

लंदन
जे. सॅम्युअल जोसेफ

सिंगापोर
दीपाली अग्रवाल

वाशिंग्टन डी. सी.
तरुण शर्मा

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है। यह प्रतीक चिह्न इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिह्न का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबंधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिह्न निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this. The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना " देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है..."

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, .

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.